

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दाण्डिक अपील अधिकारिता

दाण्डिक अपील सं. 250/ 2025[विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) सं. 14420/ 2024 से उद्धृत]

भारत आम्बले

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

..... उत्तरवादी

आदेश

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. एक्ट") की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दंडनीय अपराध में एक दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई है और इसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2024 दिनांकित दाण्डिक अपील सं. 731/2023 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया था और इस तरह विशेष दाण्डिक प्रकरण सं. H-29/2017 में विशेष न्यायाधीश, (एन. डी. पी. एस. अधिनियम), महासमुंद द्वारा पारित अपीलार्थी को ऊपरोक्त अपराध का दोषी ठहराते हुए उसे 15 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की थी।

3. यहाँ अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का पालन न करने के कारण दोषसिद्धि दूषित हो गई थी।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **(2016) 3 एस. सी. सी. 379** में प्रतिवेदित **भारत संघ बनाम मोहन लाल व एक अन्य** के प्रकरण में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया ताकि वह अपने इस तर्क को सही ठहरा सकें कि सुसंगत नियमों के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का पालन न करने से पूरा विचारण और दोषसिद्धि को दूषित कर दिया जाएगा।

5. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के परिशीलन के बाद, हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संबंध में तर्क से प्रभावित नहीं हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का विधायी इतिहास और दायरा।

6. विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के विधायी इतिहास और उद्देश्य में गहराई से जाना उचित होगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 के अधिनियमन से बहुत पहले भारत में अफीम अधिनियम, 1985, अफीम अधिनियम, 1878 और अनिष्टकारक मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 जैसे कई बिखरे हुए विधानों के माध्यम से मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। समय बीतने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और कई पदार्थों के दुरुपयोग में भारी वृद्धि के साथ, पुराने विधानों में कई कमियां देखी गईं। इससे एन. डी. पी. एस. अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम को मादक पदार्थों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करने और अवैध मादक

पदार्थों की तस्करी से प्राप्त या इसमें सम्मिलित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

7. 1985 में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के मूल अधिनियमन के बाद 1989 में किए गए संशोधनों के भाग के रूप में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क अस्तित्व में आई। इसे विधि के प्रवर्तन में आने वाली कई व्यावहारिक चुनौतियों के कारण जोड़ा गया था, विशेष रूप से जब्त किए गए मादक पदार्थों के प्रबंधन से संबंधित। इसकी शुरुआत से पहले, ऐसे पदार्थों के व्ययन का विवरण देने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं था, जिसके कारण जब्त की गई औषधियों को लंबे समय तक संग्रहीत करने में रसद और वित्तीय कठिनाइयाँ होती थीं, क्योंकि इसमें अक्सर बड़ी मात्रा सम्मिलित होती थी और चोरी या दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती थी। स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप विचारणों में लंबी देरी हुई, क्योंकि जब्त प्रस्तुत पदार्थों को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संरक्षित रखना पड़ा। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जहां जब्त की गई मादक औषधियों वर्ष तक भंडारण में रहीं, जिससे उनके क्षरण, चोरी या अवैध बाजारों में वापस जाने का खतरा बढ़ गया। यह स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों की अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति से और अधिक जटिल हो गया, जिसके लिए इसकी अखंडता को बनाए रखने और दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, व्ययन प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप अक्सर विसंगतियां और अक्षमताएं होती हैं, विशेष रूप से ऐसे पदार्थों के नमूने, परीक्षण और रिपोर्टिंग में जो विचारण और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की समग्र प्रभावशीलता को कम करती हैं। इन विवादक ने जब्त किए गए पदार्थों के व्ययन के लिए एक सुव्यवस्थित, विधिक रूप से स्वीकृत तंत्र की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि इस तरह के व्ययन से विधिक प्रक्रिया की अखंडता या प्रश्नाधीन सामग्री के साक्ष्य मूल्य से समझौता न हो।

8. समय के साथ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन. सी. बी.) ने यह भी देखा कि विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों और राज्यों के विभिन्न जांच अधिकारी जब्त की गई नशीली औषधियों और मादक पदार्थों आदि से नमूने लेने में अलग-अलग प्रक्रियाएं अपना रहे थे। अतः ऐसे मामलों में दृष्टिकोण की एकरूपता लाने और नशीली औषधियों के नमूनों को संभालने की एक सुरक्षित प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से, एन. सी. बी. ने 15.03.1988 दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से स्थायी आदेश सं. 1/188 जारी किया था, जिसमें जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से नमूने लेने, लिए गए नमूनों की संख्यांकन, सीलिंग, पैकिंग का तरीका, परीक्षण के लिए संबंधित प्रयोगशाला में नमूने भेजने आदि के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके बाद, जब्त/अधिहृत की गई औषधियों के प्रेषण, पारगमन, प्राप्ति, सुरक्षित अभिरक्षा, भंडारण, उचित लेखांकन और व्ययन विनाश के महत्व को पहचानते हुए और एक समान प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. बी. ने 11.04.1988 दिनांकित अधिसूचना द्वारा स्थायी आदेश सं. 2/288 जारी किया।

9. यद्यपि, उपरोक्त के बावजूद धारा 52-क को सम्मिलित करने की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988 तथा 1988 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखते हुए महसूस की गई थी, जिसने को अपनाया था और दिसंबर, 1988 में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की बैठक, जहां यह संकल्प लिया गया था कि सदस्य-राज्य स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के शीघ्र विनाश या वैध व्ययन के लिए उपाय करेंगे। चूंकि भारत एक सदस्य-राज्य था, उक्त सम्मेलनों में हस्ताक्षरकर्ता था, इसलिए केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक, अर्थात् स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1988 पेश किया, विशेष रूप से मूल अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए। तदनुसार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा

52-क को 1989 के अधिनियम 2 द्वारा जोड़ा गया, जो 29.05.1989 से प्रभावी हुआ। उक्त उपबंध इस प्रकार है:-

	“52-क. अभिगृहित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों का व्ययन – (1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी भी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग, मनः प्रभावी पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।	
--	--	--

(2) जहां कोई स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों या हस्तांतरणों को अभिगृहत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, तो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की

एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या या मादक औषधियों, मादक पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या परिवहन या पैकिंग के ऐसे अन्य पहचान विवरणों से संबंधित विवरण होंगे जिसमें वे पैक किए गए हैं। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के रूप में उत्पत्ति और अन्य विवरण इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में मादक औषधियों, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की पहचान के लिए सुसंगत विचार हैं और किसी भी मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन कर सकते हैं -

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसी औषधियों, पदार्थों या परिवहन की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सही प्रमाणित करने के लिए; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहाँ उप-धारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1972 का 1) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, मादक औषधियों, मादक पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की तस्वीरों और उप-धारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 6

10. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के लिए एक व्यापक प्रक्रिया निर्धारित करती है। उप-धारा (1) केंद्र सरकार को ऐसे पदार्थों के व्ययन का तरीका निर्धारित करने का अधिकार देती है। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि पुलिस स्टेशन का आरोप ी अधिकारी या धारा 53 के अधीन अधिकृत अधिकारी, जिसने पदार्थ जब्त किए हैं, जब्त की गई सामग्री की एक सूची तैयार करेगा। इन्वेंट्री में विवरण, मात्रा, पैकिंग का तरीका (उपयोग किए जा रहे परिवहन के तरीके जैसे कि कोई भी वाहन), पहचान योग्य निशान या संख्या, मूल देश और इस तरह से जब्त किए गए पदार्थों के अन्य विवरण जैसे विवरण सम्मिलित होने चाहिए। इस सूची को एक आवेदन के माध्यम से प्रकरण पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है। उप-धारा (3) के अधीन, मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त करने पर, इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रमाणन प्रक्रिया में जब्त किए गए मूल पदार्थों की तस्वीरें लेना (जिसमें किसी भी वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे परिवहन का तरीका भी सम्मिलित है), उसी के विरुद्ध तैयार की गई सूची की शुद्धता की पुष्टि करना और उसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेना सम्मिलित है, जिन्हें फिर सील कर दिया जाता है और इसका विवरण एक सूची में दर्ज किया जाता है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणित नमूने, सूची और तस्वीरों के साथ, उप-धारा (4) के अधीन विचारण के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और इन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 7

11. इसके बाद, एक निर्धारित प्रक्रिया तैयार करने और निर्धारित करने के लिए, 1989 का स्थायी आदेश संख्या 1 दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ की जब्त करके समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई

थी। उक्त स्थायी आदेश के बदले में दो बाद की अधिसूचनाएं क्रमशः 10.05.2007 और 16.01.2015 जारी की गईं, जो जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के व्ययन और विनाश की प्रक्रिया से संबंधित थीं। 1989 के उक्त स्थायी आदेश संख्या 1 के खंड 2 में कहा गया है कि सभी औषधियों को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा, सावधानीपूर्वक तौला जाएगा और जब्ती के स्थान पर नमूना लिया जाएगा। उक्त स्थायी आदेश में ठीक होने के स्थान पर नमूने लेने, नमूने लेने के लिए तैयार की जाने वाली मात्रा आदि के बारे में भी बताया गया है। इसने प्रतिनिधि नमूने लेने, नमूनों के भंडारण, नमूनों के प्रेषण, सूची तैयार करने आदि की विधि के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान की और अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2) के प्रावधानों का सहारा लेकर औषधियों और अन्य वस्तुओं के शीघ्र व्ययन के लिए भी प्रावधान किया। अंततः, उपरोक्त स्थायी आदेशों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और व्ययन) नियम, 2022 (संक्षेप में, एन. डी. पी. एस. नियम जो जब्त की गई सामग्री की जब्ती, भंडारण, नमूने लेने और व्ययन के लिए अपनाई जाने वाली पूरी रूपरेखा और प्रक्रिया को समेकित करते हैं) के अधिनियम न के साथ निरस्त कर दिया गया।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 8

12. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि धारा 52-क का दायरा हालांकि मुख्य रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के सुरक्षित तरीके से व्ययन और विनाश के लिए है, फिर भी यह नशीली औषधियों के व्ययन के तत्काल संदर्भ से परे है, क्योंकि यह एनडीपीएस अधिनियम के अधीन साक्ष्य ढांचे को मजबूत करने का एक व्यापक उद्देश्य पूरा करता है। मजिस्ट्रेटों द्वारा इन्वेंट्री तैयार करने और प्रमाणन का प्रावधान करके, यह प्रावधान विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता और

विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे जब्त किए गए पदार्थों के संचालन और व्ययन से संबंधित विवादों या चुनौतियों की गुंजाइश कम हो जाती है।

-

(i) धारा 52-क उप-धारा (1) केंद्र सरकार को मादक पदार्थों की जब्ती, भंडारण और व्ययन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देती है, और उसी के प्रयोग में, उपरोक्त स्थायी आदेश (ओं) जारी किए गए थे (समय-समय पर संशोधित)। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“12. एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 52-ए. (1) केंद्र सरकार को एक अधिसूचना द्वारा औषधियों और मादक पदार्थों की जब्ती, भंडारण और व्ययन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देती है। केंद्र सरकार ने उस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1989 का स्थायी आदेश संख्या 1 जारी किया है जो प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। दो बाद के स्थायी आदेश एक दिनांकित 10-5-2007 और दूसरा दिनांकित 16-1-2015 जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के व्ययन और विनाश से संबंधित हैं और पहले के स्थायी आदेश में परिवर्तन या जोड़ नहीं करते हैं जो बरामदगी करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 9

1989 के स्थायी आदेश संख्या 1 के कंडिका 2 में कहा गया है कि बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने बरामदगी के समय ही मौके पर लिए जाने चाहिए।”

(ii) धारा 52-क की उप-धारा (2) के अनुसार, ऐसे पदार्थ की जब्ती पर, उसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो उक्त प्रावधान के अधीन निर्धारित एक सूची तैयार करेगा और

फिर सूची, तस्वीरों आदि की शुद्धता को प्रमाणित करने और उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

(iii) धारा 52 क उप-धारा (3) के अनुसार जैसे ही जब्ती की जाती है और प्रतिबंधित पदार्थ को अग्रेषित किया जाता है, संबंधित अधिकारी विधि ी रूप से ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसमें उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति प्रदान करना भी सम्मिलित है, जिसे तब सूचीबद्ध और प्रमाणित किया जाएगा।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 10

इस प्रकार, नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सही के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“16. धारा 52-ए की उप-धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी हो सके आवेदन की अनुमति देगा। इसका तात्पर्य यह है कि जल्द ही जब्ती प्रभावी नहीं होती है और प्रतिबंधित पदार्थ को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेज प्रदान करना जाता है, तो संबंधित अधिकारी विधि ी रूप से मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिसमें ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उसकी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना सम्मिलित है, जिसके बाद कौन से नमूने सूचीबद्ध किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची की शुद्धता। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सही होने के लिए उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।”

(iv) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क में जब्ती के समय या उस स्थान पर भी नमूने लेने की आवश्यकता नहीं है जहां प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था। हालांकि, धारा 52-क की उप-धारा (4) के अनुसार केवल वे नमूने जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार किए जाते हैं और उसके द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, विचारण के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेंगे। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“17. जब्ती के समय नमूने लेने का प्रश्न, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजनाओं में नहीं आता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब अधिनियम की धारा 52-ए (4) के अनुसार, उपरोक्त धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार और प्रमाणित नमूने विचारण के उद्देश्य के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 11

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य जब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।”

(जोर दिया गया)

(v) सामान्य रूप से अधिनियम की योजना और विशेष रूप से धारा 52-क, आवेदन करने या नमूने लेने और प्रमाणन के मामले में किसी भी विलंब को नहीं रोकती है। जबकि उक्त प्रावधान में कोई सख्त समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, फिर भी नमूने लेने और प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया बिना किसी अनुचित विलंब के उचित अवधि में की जानी चाहिए। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“19. [.....] हमारी मत में इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के बाद अधिनियम के अधीन विचार किए गए नमूनों और प्रमाणन के लिए एक

आवेदन किया जाना चाहिए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के किसी भी आवेदन और परिणामी नमूने लेने और प्रमाणन की प्रक्रिया को संबंधित अधिकारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सामान्य रूप से अधिनियम की योजना और विशेष रूप से धारा 52-ए, आवेदन करने या नमूने लेने और प्रमाणन के मामले में किसी भी विलंब को नहीं रोकती है। हम आशा और न्यास करते हैं कि उच्च न्यायालय इस संबंध में मजिस्ट्रेटों के प्रदर्शन पर और मजिस्ट्रेटों के माध्यम से उन अभिकरणों पर कड़ी नजर रखेंगे जो नशीली औषधियों के खतरे से निपट रहे हैं, जो इस देश में खतरनाक आयाम ले चुके हैं, आंशिक रूप से कानूनों और प्रक्रियाओं के अप्रभावी और अभावपूर्ण प्रवर्तन के कारण और इस देश में एजेंसियां और कभी-कभी मजिस्ट्रेट इस तरह के गंभीर आयामों की समस्या का समाधान करते हैं।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 12

"

(vi) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 55 के अनुसार एक पुलिस स्टेशन का आरोप की अधिकारी शेष जब्त की गई वस्तु का आरोप लेगा और उसके व्ययन या विनाश के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश तक उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। इसके अलावा, स्थायी आदेश (ओं) के अनुसार, इस तरह के जब्त किए गए पदार्थों को यथासंभव उचित सुरक्षित तहखानों या गोदामों में संग्रहीत किया जाना चाहिए। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“20. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 निषिद्ध पदार्थों के भंडारण को विनियमित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। अधिनियम की धारा 55 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि किसी पुलिस थाने का आरोप की अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश तक जब्त की गई वस्तु का आरोप लेगा और उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। निषिद्ध पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग की जाने

वाली भंडारण सुविधा की प्रकृति निर्धारित करने वाले पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई प्रावधान नहीं है और न ही हमें ऐसा कोई प्रावधान बताया गया है। फिर भी प्रतिबंधित सामग्री के सुरक्षित जमा और भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के महत्व को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है क्योंकि 1989 के स्थायी आदेश संख्या 1 में इसके संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। उक्त आदेश की धारा III "गोदामों और प्रक्रिया में औषधियों की प्राप्ति" से संबंधित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सभी औषधियों को हमेशा डबल-लॉकिंग प्रणाली के साथ प्रदान किए गए "सेफ और वॉल्ट" में संग्रहीत किया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां विशेष रूप से भंडारण उद्देश्यों के लिए अपने गोदामों को नामित कर सकती हैं और ऐसे गोदामों का चयन उनके सुरक्षा कोण, न्यायालयों के साथ जुड़ाव आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 13

(vii) 1989 के स्थायी आदेश संख्या 1 में संशोधन करने वाली अधिसूचना के खंड 4 के अनुसार, पुलिस स्टेशन का आरोप ी अधिकारी जब्त किए गए पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को शेष पदार्थ के व्ययन के लिए आवेदन करेगा।

"27. संशोधित धारा 52-ए में उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के निपटारे का प्रावधान है। आई. डी. 1 की पूर्व अधिसूचना के स्थान पर आई. डी. 2 की अधिसूचना में न केवल यह निर्धारित किया गया है कि सभी औषधियों और मादक पदार्थों का व्ययन किया जाना चाहिए, परन्तु उन अधिकारियों की भी पहचान की गई है जो व्ययन के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे और इस तरह के व्ययन के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे। अधिसूचना के

कंडिका 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस स्टेशन के आरोप ी अधिकारी औषधियों, मादक पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक 2 के संदर्भ में धारा 52-ए (2) के अधीन किसी भी मजिस्ट्रेट पर लागू होंगे।"

(viii) उपरोक्त आवेदन की अनुमति के बाद, संबंधित अधिकारी को जब्त की गई वस्तुओं का विवरण औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष को व्ययन पर निर्णय के लिए उस गोदाम के आरोप ी अधिकारी को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है जहां ऐसा पदार्थ संग्रहीत किया गया है। इसके बाद, औषधि व्ययन समिति दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा संशोधित स्थायी आदेश के खंड 7 और 8 के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के संदर्भ में व्ययन का आदेश देगी और उसके बाद विनाश या व्ययन का प्रमाण पत्र जारी करेगी।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 14

"28. कंडिका 4 के उप-कंडिका (2) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52-ए की उप-धारा (3) के अधीन आवेदन की अनुमति देने के बाद, कंडिका 4 के उप-कंडिका (1) में उल्लिखित अधिकारी प्रकरण के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार की गई प्रमाणित सूची, तस्वीरों और नमूनों को संरक्षित करेगा और जब्त की गई वस्तुओं का विवरण औषधि व्ययन समिति के अध्यक्ष को व्ययन के प्रश्न पर समिति द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा। अधिकारी जब्त की गई वस्तुओं के साथ विवरण की एक प्रति गोदाम के आरोप ी अधिकारी को भी भेजेगा। अधिसूचना के कंडिका 5 में औषधि व्ययन समिति के गठन का प्रावधान है जबकि कंडिका 6 में उन कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है जो समिति करेगी। कंडिका 7 में अधिसूचना में जब्त की गई वस्तुओं के व्ययन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान

है, जबकि कंडिका 8 में वह मात्रा या मूल्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए मादक पदार्थ व्ययन समिति जल्त की गई वस्तुओं के व्ययन का आदेश दे सकती है। कंडिका 8 के परंतुक के संदर्भ में यदि खेप तालिका में दर्शाई गई मात्रा से अधिक या अधिक मूल्य की है, तो औषधि व्ययन समिति को अपनी सिफारिशें विभाग के प्रमुख को भेजने की आवश्यकता होती है, जो तब उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक उच्च स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा उनके व्ययन का आदेश देगा। कंडिका 9 मादक द्रव्यों के व्ययन का तरीका निर्धारित करता है, जबकि कंडिका 10 समिति से विभाग के प्रमुख को विनाश के कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और विभाग के प्रमुख को आकस्मिक जांच करने या विनाश अभियान पर ऐसी जांच करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करने की अपेक्षा करता है। कंडिका 11 विनाश के प्रमाणपत्र से संबंधित है जबकि कंडिका 12 और 13 गोदाम रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली विक्रय के विवरण और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजे जाने वाले संचार से संबंधित है।"

14. इस स्तर पर इस विषय पर इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख करना उचित होगा, ताकि उन उदाहरणों को समझा जा सके जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का पालन न करने के कारण दोषसिद्धि को अपास्त दिया गया था।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 15

15. नूर आगा बनाम पंजाब राज्य व एक अन्य में (2008) 16 एस. सी. सी. 417 में रिपोर्ट किया गया

अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह था कि एक कार्डबोर्ड कंटेनर में छिपी हुई 1.40 किलोग्राम हेरोइन कथित तौर पर उसमें अपीलार्थी से बरामद की गई थी। हालांकि, न तो बड़ी मात्रा में हेरोइन और न ही उसी से युक्त कार्डबोर्ड कार्टन को कभी न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्तुत था। इस तरह की चूक के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जो स्पष्टीकरण

दिया गया था, वह यह था कि मूल कार्डबोर्ड कार्टन गायब हो गया था, जबकि जब्त की गई हेरोइन को नष्ट कर दिया गया था। हालाँकि, न तो हेरोइन को नष्ट करने के लिए धारा 52-क के संदर्भ में व्ययन का कोई आदेश और न ही स्थायी आदेश (ओं) के संदर्भ में कार्टन की कोई तस्वीर या सूची विवरण न्यायालय के समक्ष रखा गया था। इसके अलावा, जब्त मादक पदार्थ के नमूने भी स्थायी आदेश (ओं) के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए लिए गए थे और वजन और रंग के संबंध में कई विसंगतियाँ थीं और किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को इस आधार पर दोषी ठहराया कि अभिलेख के अनुसार, सभी जब्त की गई सामग्री को विधिवत सील कर दिया गया था, इस प्रकार, भौतिक साक्ष्य को अक्षुण्ण और सुरक्षित अभिरक्षा में कहा जा सकता है। अपील में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के माध्यम से धारा 52-क और उसके अनुसरण में जारी किए गए उपरोक्त स्थायी आदेशों की जांच करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है :-

(i) सबसे पहले, यह अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है गया कि धारा 52-क जब्त किए गए मादक पदार्थों के व्ययन का प्रावधान करती है, जिसके अधीन धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को पहले जब्त किए गए पदार्थों की एक सूची तैयार करने, उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा और पैकेजिंग से संबंधित विवरण को उसी की पहचान के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी अन्य निशान के साथ अभिलेख की आवश्यकता होती है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 16

इसने आगे कहा कि चूंकि व्ययन का पहलू स्पष्ट रूप से केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के अधीन प्रदान अभिनिर्धारित किया जाता है गया है और कोई अन्य प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे पदार्थों का कोई भी विनाश या व्ययन केवल सक्षम मजिस्ट्रेट के स्पष्ट निर्देश या आदेश के साथ और उक्त प्रावधान और उसके अधीन

स्थायी आदेश के खंड 3.9 के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है।सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“28. धारा 52-ए जब्त स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के व्ययन का प्रावधान करती है।

XXX

XXX

XXX

93. अभियोजन पक्ष को कार्रवाई का एकमात्र तरीका मजिस्ट्रेट की सक्षम न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना चाहिए था, जैसा कि अधिनियम की धारा 52-ए के अधीन परिकल्पित है, जिसके संदर्भ में धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी मादक औषधियों की एक सूची तैयार करता है, जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, निशान, संख्या या मादक औषधियों या मनोदैहिक पदार्थों के ऐसे अन्य पहचान विवरण या जिस पैकिंग में वे पैक किए जाते हैं, मूल देश और अन्य विवरण होते हैं, जो वह वहां की किसी भी कार्यवाही में मादक औषधियों या मनोदैहिक पदार्थों की पहचान के लिए सुसंगत विचार है। के अधीन [.]94. हमें 1962 के अधिनियम की धारा 110 (1-बी) और अधिनियम की धारा 52-ए (2) मध्य उप-धारा (4) के रूप में एक विभेद पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात्, पूर्व में धारा 52-ए की उप-धारा (4) जैसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रदर्शनी कंडिका जे. को प्रमाणीकरण के आदेश के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह 1962 के अधिनियम की धारा 110 (1-बी) के अधीन एक प्रमाण पत्र है क्योंकि अधिनियम की धारा 52-ए के अधीन स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए व्ययन के पहलू का उल्लेख नहीं किया गया है।

[.....] व्ययन के लिए प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 52-ए के संदर्भ में न्यायालय के स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता होगी। चौथा, उच्च न्यायालय इस बात पर विचार में विफल रहा और/या उपेक्षा की कि भौतिक साक्ष्य न्यायालय की संपत्ति होने और विचारण के लिए केंद्रीय होने के कारण विधि के सख्त अनुपालन में व्यवहार और व्ययन किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

((ii) दूसरा, इसने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 52 क के प्रयोजनों के लिए स्थायी आदेश (ओं) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बरकरार रहे, उनका पर्याप्त अनुपालन आवश्यक है। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

"89. जारी किए गए दिशानिर्देशों का न केवल काफी हद तक पालन किया जाना चाहिए, परन्तु दंडात्मक कार्यवाही से जुड़े प्रकरण में भी विभागीय कार्यवाही की तुलना में ऐसे दिशानिर्देशों की कठोरता पर जोर दिया जा सकता है। एक व एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसे निर्देश कानून के प्रावधानों के संदर्भ में जारी किए गए हैं या नहीं। जब किसी प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं जिसके लिए विधिक मंजूरी प्रदान करना जाती है, तो अधीनस्थ अधिकारियों की भाग इसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

XXX

XXX

XXX

91. इन चर्चाओं का तार्किक परिणाम यह है कि स्थायी आदेश में मौजूद दिशानिर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और इसके पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में भौतिक साक्ष्य की पवित्रता बरकरार रहे।
[.....]”

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 18

(iii) अंत में, इसने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि स्थायी आदेश (ओं) के अधीन विचार की गई प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से पालन करने में अधिकारियों की भाग किसी भी विफलता से अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा यदि भौतिक साक्ष्य में कोई विसंगतियां मौजूद हैं। इसने आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि भौतिक साक्ष्य में इस तरह की विसंगतियों की जब व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है तो यह घातक नहीं हो सकती है, परन्तु इस तरह की विसंगतियों के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अभियोजन पक्ष के प्रकरण की विश्वसनीयता पर एक व्यापक सेंध लगा सकता है। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“92. अभियोजन पक्ष की भाग इस भाग साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक को भौतिक साक्ष्य के दूसरे महत्वपूर्ण टुकड़े से जोड़ा जाना चाहिए कि कथित रूप से निर्विवाद रूप से बरामद हेरोइन की बड़ी मात्रा को भी न्यायालय में पेश नहीं प्रस्तुत है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उन्हें नष्ट कर दिया गया था। हालाँकि, यह किस अधिकार पर किया गया था, यह स्पष्ट नहीं है। विधि के अनुसार ऐसा प्राधिकरण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

95. उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं है, परन्तु तथ्य यह है कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियों के संबंध में एक संचयी दृष्टिकोण एक व्यापक निष्कर्ष बनाता है जो अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को कम करता है।[.....]

XXX

XXX

XXX

119. [.....]

4. विसंगतियों का पता लगाना, हालांकि यदि व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है, तो अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं हो सकता है, परन्तु यदि परिदृश्य का संचयी दृष्टिकोण लिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के प्रकरण को विश्वसनीयता में कमी अभिनिर्धारित किया जाता है जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 19

तदनुसार, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि धारा 52-क का उल्लंघन करते हुए जब्त किए गए पदार्थ को नष्ट करने के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की भाग या तो पदार्थ को उसके व्ययन से पहले प्रस्तुत करने में चूक, उसमें से लिया गया नमूना या बिना किसी स्पष्टीकरण के कंटेनर पर मूल मुहर, साथ ही इसकी वसूली और भंडारण में कई अन्य महत्वपूर्ण

विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर गंभीर संदेह पैदा कर अभिनिर्धारित किया जाता है। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“96. अंत में, हेरोइन की बड़ी मात्रा से लिए गए तीन नमूनों से संबंधित भौतिक साक्ष्य परन्तु प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत थे। भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार प्रस्तुत जाता है कि थोक मात्रा को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 52-ए के अधीन परिकल्पित हेरोइन की बरामदगी के तथ्य को स्थापित करने के उद्देश्य से नमूनों को प्रस्तुत करना और प्राथमिक साक्ष्य के रूप में साबित करना आवश्यक था।

97. इन नमूनों का भाग्य विवादित नहीं है। हालाँकि उनमें से दो को थोक के साथ मलखाने में रखा गया था, परन्तु उनका उत्पादन नहीं प्रस्तुत था। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जहां तक कथित रूप से केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेजे गए तीसरे नमूने का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य में विसंगतियाँ न्यायालय के समक्ष पेश हुई हैं, अर्थात्: (i) जबकि नमूने का मूल वजन 5 ग्राम था, जैसा कि एक्सट्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। पी. बी., पी. सी. और एक्सट के साथ पत्र। पीएच, प्रयोगशाला में नमूने का वजन 8.7 ग्राम अभिलेखित गया था।

(ii) शुरू में, दर्ज किए गए नमूने का रंग भूरा था, परन्तु रासायनिक-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, पाउडर का रंग सफेद अभिलेखित गया था।

98. हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि नमूने के वजन में थोड़ा सा अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है कि पूरे अभियोजन प्रकरण की अवहेलना की जा सके क्योंकि आम तौर पर सार्वजनिक स्थान पर एक अधिकारी अपने साथ एक अच्छा पैर अभिनिर्धारित किया जाता है नहीं ले जाता है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 20

लेकिन, यहां का परिदृश्य अलग है। जब्ती का स्थान एक हवाई अड्डा था। तलाशी और जब्ती करने वाले अधिकारी सीमा शुल्क विभाग के थे। आयातित वस्तुओं की मात्रा में मामूली वृद्धि या कमी के रूप में उनके पास अच्छा पैमाना होना चाहिए, चाहे वह वर्जित हो या अन्यथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन एक बड़ा अंतर ला सकता है।

99. हम भौतिक साक्ष्य के संबंध में अन्य विसंगतियों पर परन्तु ध्यान दे सकते हैं जो हैं:

(i) पंचनामा, एक्स्ट के अनुसार थोक को सूती थैलों में रखा गया था। पीसी, जबकि उन्हें मालखाने में प्राप्त करने के समय, उन्हें अ.सा. 5 के टभिसाक्ष्य के अनुसार एक टिन में पैक किया गया था।

(ii) मुहर, जो भौतिक साक्ष्य की पवित्रता सुनिश्चित करती है, सामग्री के साथ न तो मालखाने में और न ही सी. एफ. एस. एल. में प्राप्त की गई थी, और न ही न्यायालय में प्रस्तुत गई थी।

100. इस प्रकार के प्रकरण के न्यायालय की संपत्ति होने के भौतिक साक्ष्य को पवित्र माना जाना चाहिए था। इसे प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के अर्थ के भीतर एक नकारात्मक निष्कर्ष निकालना आवश्यक होगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, यदि इसके संचयी प्रभाव को इस आधार पर प्रतिफल रखा जाता है कि अनुमति देने वाला निष्कर्ष यह होगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखने के तथ्य को साबित करने के अभियोजन पक्ष के प्रयास के संबंध में गंभीर संदेह पैदा किए जाते हैं।"

(जोर दिया गया)

16. (2018) 4 एस. सी. सी. 334 में रिपोर्ट किए गए भारत संघ बनाम जारोपरम में यह आरोप लगाया गया था

अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों से 7.2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। इस न्यायालय ने अपील में निम्नलिखित दो आधारों पर बरी करने के आदेश को यथावत :-

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 21

(i) सबसे पहले, हालांकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन स्थायी आदेश (ओं) के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जब्त किए गए पदार्थ से सीलबंद नमूने लिए गए थे, फिर भी उसके बाद जब्त किए गए पदार्थ को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट/निपटाने के बजाय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से शेष जब्त किए गए पदार्थों को अन्वेषण अधिकारी को वापस कर दिया क्योंकि उसमें निचली विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से उसी को संरक्षित करने का निर्देश दिया था क्योंकि उसमें अन्य सह-आरोपी अभी भी फरार थे। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष द्वारा शेष जब्त किए गए पदार्थों को निचली विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दिए गए स्पष्टीकरण कि उन्हें नष्ट कर दिया गया था, इस विचारण न्यायालय द्वारा संदिग्ध के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में ऐसा कोई विनाश या व्ययन नहीं हुआ था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब्त किए गए पदार्थ का कोई भी विनाश या व्ययन केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के संदर्भ में और सक्षम मजिस्ट्रेट से इस संबंध में आदेश प्राप्त करने के बाद ही हो सकता था।

सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“9. उपरोक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए शेष सामान का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा व्ययन नहीं किया गया था। प्रतिबंधित सामग्री के साथ-साथ हमेशा की

तरह सील किए गए नमूनों को अन्वेषण अधिकारी परविंदर सिंह (पीडब्लू 6) को सौंप दिया गया। साथ ही निचली विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विशेष रूप से जब्त की गई संपत्ति और प्रकरण के अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सह-आरोपी भंवरलाल फरार था। निचली विचारण न्यायालय ने अधिक विशेष रूप से निर्देश दिया कि अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसके पहले पन्ने पर लाल स्याही वाला एक नोट रखा जाए। ऐसी स्थिति में, यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि प्रतिबंधित पदार्थ की शेष थोक मात्रा का क्या हुआ।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 22

अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति उसके प्रकरण को काफी कमजोर करती है और गवाहों द्वारा दिए गए कथनों के साक्ष्य मूल्य को कम करती है।

10. अभियोजन पक्ष की भाग जब्त अफीम की बड़ी मात्रा को प्रस्तुत करने में चूक से न्यायालय के मन में कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से लिए गए और ए, बी, सी, डी, ई, एफ के रूप में चिह्नित नमूनों की वास्तविकता पर संदेह पैदा होगा। हालाँकि, इस सरल तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसे नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस अधिकार पर किया गया था। विधि के अनुसार ऐसा प्राधिकरण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से प्रवाहित होना चाहिए। अभिलेख के एक नंगे परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि किसी भी समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अफीम को नष्ट करने या अन्यथा उसके व्ययन के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष को अपने निपटारे के लिए अधिनियम की धारा 52-ए के अधीन परिकल्पित मजिस्ट्रेट की सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करना चाहिए था। अधिनियम के अधीन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन की अनुमति दे सकता है।[.....]

11. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कथित रूप से जब्त की गई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री के व्ययन/विनाश के लिए ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत कर नहीं किया है और न ही मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है। इस तरह के कथित विनाश/व्ययन से पहले अभियुक्त को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निचली विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को जल्दबाजी में माना और उत्तरवादी को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के उत्पादन की गारंटी दिए बिना दोषसिद्धि प्रदान की। परन्तु, उच्च न्यायालय ने प्रकरण के इस पहलू से निपटने में कोई गलती नहीं की और इस निष्कर्ष पर पहुँचकर अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया कि विचारण में, साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय गवाहों को भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ नहीं दिखाया गया था।"

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 23

((ii) दूसरा, अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर अविश्वास करने में इस न्यायालय के साथ दूसरा पहलू यह था कि उसमें स्वतंत्र गवाह भी मुकर गए थे और जब्त किए गए पदार्थों की कथित बरामदगी का समर्थन नहीं करते थे। इस न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के प्रकरण में अन्य विसंगतियों पर भी ध्यान दिया, विशेष रूप से कथित इकबालिया संस्वीकृति कथन कथन, जिसमें इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं था। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

"12. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में अन्य विसंगतियों की ओर रुख करते हुए, पीडब्लू 1 और 2 अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित स्वतंत्र गवाह मुकर गए हैं और अपने प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल जांच अभिकरण

की मर्जी से कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। एक व एक अन्य पहलू जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष के उस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उत्तरवादी ने स्वेच्छा से इकबालिया कथन दिया था, जो अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख साक्षी, मादक पदार्थ अधिकारी (पीडब्लू 5) द्वारा स्वीकार किया गया था कि अधिनियम की धारा 67 के अधीन उत्तरवादी -अभियुक्त का कथन अभिलेखित गया था जब वह अपनी अभिरक्षा में था और कथनों में समय का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि अ.सा. 6 के बयान से भी होती है कि अभियुक्त का बयान गिरफ्तारी के बाद और अभिरक्षा में रहते हुए अभिलेखित गया था। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्त का बयान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्वेच्छा से दिया गया था।

(जोर दिया गया)

17. 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1328 में रिपोर्ट किए गए यूसुफ @आसिफ बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के व एक अन्य निर्णय में यह अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है गया था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क, विशेष रूप से, उप-धारा (2), (3) और (4) मादक पदार्थों की जब्ती के लिए प्रक्रिया और तरीका निर्धारित करती है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 24

इसने पाया कि उक्त प्रावधान के अनुसार, जहां कोई भी प्रतिबंधित या मादक पदार्थ जब्त किया जाता है, उसे एनडीपीएस की धारा 53 के अधीन अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, जो बदले में ऐसी सामग्री की सूची तैयार करेगा, जिसमें इसकी गुणवत्ता, पैकिंग का तरीका और पहचान के निशान आदि का विवरण होगा। इसके बाद, धारा 52-क उप-धारा (3) के संदर्भ में एक आवेदन किया जाना है, जिसके अधीन मजिस्ट्रेट तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करेगा और अपनी उपस्थिति में

ऐसे पदार्थ से नमूने लेने की अनुमति देगा।(पूर्वोक्त)इ(पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)आ(पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) अभिनिर्धारित किया जाता है (पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)ो(पूर्वोक्त)ह(पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)ल(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त)ल(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)((पूर्वोक्त)उ(पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)ो(पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)्
 (पूर्वोक्त)त(पूर्वोक्त)) (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)अ(पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)ु
 (पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)व(पूर्वोक्त)ल(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)व(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)ू(पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)ज(पूर्वोक्त)ो(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ध(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)5(पूर्वोक्त)2(पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)ं
 (पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)भ(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)ं(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)ज(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)ट(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)े
 (पूर्वोक्त)ट(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)ी(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)उ(पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)्
 (पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)त(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)ं(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)त(पूर्वोक्त)ै(पूर्वोक्त)य(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)ि
 (पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त),(पूर्वोक्त)
 विचारण (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)उ(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)्
 (पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)श(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)य(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)ल(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त) साक्ष्य (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)ठ(पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)ं
 (पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)।(पूर्वोक्त)राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में केवल नमूने
 लेना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क उप-धारा (2) के अधीन जनादेश का
 पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“10. [.....] एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क (2), (3) और (4) के प्रावधानों को संदर्भित करना सुसंगत होगा। उपरोक्त प्रावधानों में जब्त करने की प्रक्रिया और तरीके, जब्त की गई सामग्री की सूची तैयार करने, जब्त की गई सामग्री को अग्रेषित करने और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सूची प्रमाणित करने का प्रावधान है। यह भी परन्तु जहां गया है कि जब्त किए गए पदार्थ की सूची या तस्वीरें और उसके संबंध में नमूनों की किसी भी सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने पर एनडीपीएस अधिनियम के अधीन कथित अपराधों के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाएगी।

XXX

XXX

XXX

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 25

12. जैसा कि पहले भी कहा गया है, उपरोक्त प्रावधानों के एक सरल वाचन से पता चलता है कि जब कोई प्रतिबंधित/मादक पदार्थ जब्त किया जाता है और धारा 53 के अधीन इस प्रकार उल्लिखित पुलिस या अधिकारी को भेजा जाता है, तो उप-धारा (1) में इस प्रकार संदर्भित अधिकारी जब्त किए गए पदार्थ के विवरण और विवरण जैसे गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, संख्या और पहचान के निशान के साथ इसकी सूची तैयार करेगा और फिर किसी भी मजिस्ट्रेट को इसकी शुद्धता प्रमाणित करने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसे पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देने और नमूनों की सूची की शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्य से आवेदन करेगा। खींचा।

13. तत्काल प्रकरण में उत्तरवादी की ओर से स्थापित बचाव के बावजूद, इस आशय का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का जब्ती और नमूना बनाते समय पालन किया गया था जैसे कि सूची तैयार करना और मजिस्ट्रेट द्वारा इसे प्रमाणित करना। इस बात का भी कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं लाया गया है कि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार किए गए थे और इस तरह तैयार किए गए नमूनों की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई थी। केवल यह तथ्य कि राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नमूने लिए गए थे, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2) के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।

XXX

XXX

XXX

15. मोहनलाल के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर, इसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जो जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सूची तैयार करने और फिर इसकी शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए बाध्य है। यह भी निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार किए गए नमूने और केवल प्रमाणित होने पर उनकी सूची विचारण के उद्देश्यों के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेगी।"

(जोर दिया गया)

तदनुसार, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि चूंकि (i) जब्त किए गए पदार्थ के नमूने न तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और न ही उसके द्वारा सूची को विधिवत प्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाता है गया था; और (ii) विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह होने के कारण, उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिससे पूरे विचारण को दूषित अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 26

सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“8. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है। उनके तर्क का मुख्य आधार यह है कि जब्ती और नमूने लेने की पूरी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क (2) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया था क्योंकि नमूने लेने और कथित मादक पदार्थ को जब्त करने में उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह है कि क्या वे वास्तव में जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने थे।

XXX

XXX

XXX

16. यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई थी, यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ और उनसे लिए गए नमूने विचारण

में प्राथमिक साक्ष्य का वैध टुकड़ा नहीं होंगे। एक बार जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो समग्र रूप से विचारण दूषित हो जाता है।"

(जोर दिया गया)

18. इसके द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के दायरे को फिर से देखा गया।

न्यायालय ने 2023 में रिपोर्ट किए गए मंगीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में अपने फैसले में

एससीसी ऑनलाइन एससी 862। उक्त प्रकरण में, अफीम के पुआल की प्रकृति का मादक पदार्थ कथित तौर पर अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद किया गया था। विचारण में, अभियोजन पक्ष को जब्त प्रस्तुत पदार्थ को पुलिस स्टेशन में रखने की अनुमति दी गई थी ताकि इसे बाद में पेश किया जा सके, हालांकि, अभियोजन पक्ष ऐसा करने में विफल रहा, यह कहते हुए कि उसे निपटाया/नष्ट कर दिया गया था, हालांकि धारा 52-क के संदर्भ में व्ययन का ऐसा कोई आदेश न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 27

यह न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त करते अभिनिर्धारित किया जाता है निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित करता है:-

(i) सबसे पहले, यह अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है गया कि धारा 52-क उप-धारा (1) केंद्र सरकार को जब्त मादक पदार्थ के व्ययन के लिए एक विशेष तरीका और प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। उक्त प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब्त किए जाने के बाद ऐसे पदार्थों का अवैध साधनों के लिए उपयोग या पुनः प्रसार के बजाय सुरक्षित रूप से व्ययन किया जाए। धारा 52-क की

उप-धारा (2) सक्षम अधिकारी को आवश्यक विवरणों के साथ जब्त किए गए पदार्थों की एक सूची तैयार करने का आदेश देती है। इसके बाद, सूची को सही प्रमाणित करने, पर्याप्त तस्वीरें लेने और उसकी उपस्थिति में नमूने लेने के उद्देश्य से उपयुक्त मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही जब्त किए गए पदार्थों को मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रावधान के अधीन विनाश के प्रमाण पत्र के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के व्ययन पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व होना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन परिकल्पित पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अन्वेषण में निष्पक्षता लाना है। इसने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है और जहां इसका पालन नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है जाता है या जहां तस्वीरों, सूची या नमूनों में मजिस्ट्रेट के प्रमाणन की कमी है, वे प्राथमिक साक्ष्य का गठन नहीं करेंगे। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 28

- “4. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को जब्त मादक पदार्थ के व्ययन के लिए एक विधि निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करती है। विचार विशेष प्रकरण से निपटने के उद्देश्य से और उसके बाद किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ की सुरक्षा के लिए इस तरह के व्ययन के लिए एक स्पष्ट तंत्र बनाना है।

5. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2) एक सक्षम अधिकारी को पर्याप्त विवरणों के साथ ऐसी मादक औषधियों की सूची तैयार करने का आदेश देती है। सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने, उनकी उपस्थिति में सुसंगत तस्वीरें लेने और उन्हें सही के रूप में प्रमाणित करने या उचित प्रमाणन के साथ उनकी उपस्थिति में नमूने लेने के उद्देश्य से संबंधित मजिस्ट्रेट को एक उचित आवेदन के

माध्यम से इसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसा आवेदन उपरोक्त तीन उद्देश्यों में से किसी के लिए भी प्रस्तुत कर जा सकता है। इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के व्ययन पर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यवेक्षण का एक तत्व होना है। इस तरह की सूची, तस्वीरें और मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रमाणन के साथ तैयार किए गए नमूनों की सूची प्राथमिक साक्ष्य के रूप में गठित होगी। अंतः जब एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का पालन नहीं किया जाता है, जहां मजिस्ट्रेट के प्रमाणन में किसी भी सूची की कमी होती है, तो फोटोग्राफ या नमूनों की सूची प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगी।

6. इस प्रावधान के पीछे स्पष्ट कारण अन्वेषण की प्रक्रिया में निष्पक्षता लाना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम है जिसमें एक मजिस्ट्रेट की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसके बाद एक आदेश होता है जो या तो एक सूची को प्रमाणित करने के लिए या खींचे गए नमूनों की सूची के अलावा ली गई तस्वीर के लिए उसकी मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क (1) के उचित अनुपालन में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 339 (ई) दिनांक 10.05.2007 जो विनाश के प्रमाण पत्र के साथ समाप्त होने वाली औषधियों के व्ययन का एक विस्तृत तरीका और तरीका प्रस्तुत करता है।"

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 29

((ii) दूसरा, इसने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान कठोर और कठोर दोनों हैं और इस प्रकार जब्त किए गए पदार्थ का कोई भी प्रस्तावित व्ययन या विनाश एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधिदेश के अनुसार और सख्ती से उसके अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही

अभिनिर्धारित किया जाता है जाना चाहिए। इसने आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि मादक पदार्थों की जब्ती, वसूली के नमूने या व्ययन के संबंध में जहां भी कोई विवाद्यक उत्पन्न होता है, अभियोजन पक्ष पर उक्त प्रावधान के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के अनुपालन को साबित करने की जिम्मेदारी होगी। भौतिक सामग्री जब्ती और वसूली स्थापित करने के लिए एक कारक होने के नाते, उसे प्रस्तुत न करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 114 (जी) के अर्थ के भीतर एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकलेगा। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“7. ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपरोक्त अधिसूचना उस समय अस्तित्व में थी जब प्रकरण में कथित अपराध हुआ था, जिसे अधिसूचना संख्या 1 के माध्यम से 23.12.2022 से निरस्त कर दिया गया था। **G.S.R.899 (E)**। किसी भी प्रकरण में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अपमान में जारी की गई अधिसूचना कभी भी मुख्य प्रावधान, विशेष रूप से उप-धारा (2) का खंडन नहीं कर सकती है। हालांकि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अनुरूप अधिसूचना के माध्यम से जारी किसी भी दिशानिर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

8. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के किसी भी प्रस्तावित व्ययन/विनाश आदेश से पहले उस प्रभाव के लिए एक आवेदन के साथ विधिवत अनुपालन की आवश्यकता होती है। एक न्यायालय को प्रकरण का निर्णय लेते समय इस तरह के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए। किसी प्रकरण में जब ऐसा कोई मुद्दा प्रतिफल के लिए आता है तो न्यायालय को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होती है। जब्त सामग्री का उत्पादन बरामदगी के बाद बरामदगी स्थापित करने का एक कारक है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 30

यह याद रखना होगा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान कठोर और कठोर दोनों हैं और अंतः अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है। भौतिक साक्ष्य को प्रस्तुत न करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद साक्ष्य अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 114 (जी) के अर्थ के भीतर एक नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। अधिसूचना के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया में निष्पक्षता का एक तत्व है जैसे कि मुहर जमा करना, पात्रों को क्रमवार संख्या देना और नमूने लेने की प्रक्रिया के अनुपालन से पहले उन्हें लॉट में रखना।[.....]”

(जोर दिया गया)

(iii) अंत में, इसने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि दोषसिद्धि का आदेश अस्थिर था क्योंकि जब्ती के संबंध में एक गंभीर संदेह था। जब्त की गई सामग्री का उत्पादन न करने या उन्हें निपटाने के तरीके के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जब्ती के दो साक्षी मुकर गए जबकि तीसरे साक्षी से पूछताछ नहीं की गई। शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन इस प्रकार, इस न्यायालय ने भौतिक अनियमितताओं पर एक संचयी दृष्टिकोण रखते हुए अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण को ही संदिग्ध बना दिया, और इस प्रकार, अभियुक्त को बिना किसी हिचकिचाहट के दोष मुक्त दिया। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“11. पी-3 के अधीन प्रदर्शित सूचना देने वाले की सूचना का ज्ञापन दो गवाहों, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 6 के हस्ताक्षर का संकेत देता है, जो दोनों मुकर गए थे। यद्यपि शपथ पूर्वक कथन

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 31

हमारे सुविचारित विचार में न्यायालय ने साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है, वस्तुतः ये दोनों गवाह 13 तक के अधिकांश प्रदर्शनों में पक्षकार थे। प्रदर्शनी पी-4 के अधीन तलाशी वारंट ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एनडीपीएस अधिनियम के अधीन विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, जब्ती ज़ापन के गवाहों में से एक से पूछताछ नहीं की गई है जबकि दूसरा मुकर गया है। गिरफ्तारी ज़ापन के दोनों गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। [.....] 12. हम आगे पाते हैं कि अधिनियम की धारा 27 के अधीन ज़ापन, जैसा कि दो गवाहों, पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा देखा गया है, साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई नया तथ्य सम्मिलित नहीं है। जो भी हो, ये गवाह भी मुकर गए। अभिलेख से यह भी संकेत मिलता है कि विचारण विचारण द्वारा एक आदेश पारित प्रस्तुत था जिसमें अभियोजन पक्ष को जब्त की गई सामग्री को पुलिस थाने के भीतर रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में पेश किया जाएगा। यह अपने आप में एक पर्याप्त संकेत है कि धारा 52-क के आदेश का पालन नहीं किया गया है। जब्त की गई सामग्री का उत्पादन न करने या उन्हें निपटाने के तरीके के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन न शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन ड शपथ पूर्वक कथनी शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन प शपथ पूर्वक कथनी शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन ए शपथ पूर्वक कथन स शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन अधिनियम शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन क शपथ पूर्वक कथनी शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन ध शपथ पूर्वक कथना शपथ पूर्वक कथन र शपथ पूर्वक कथना शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन 5 शपथ पूर्वक कथन 2 शपथ पूर्वक कथन ए शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन क शपथ पूर्वक कथने शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन त शपथ पूर्वक कथन ह शपथ पूर्वक कथन त शपथ पूर्वक कथन प्रस्तुत कर शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन आ शपथ पूर्वक कथन व शपथ पूर्वक कथने शपथ पूर्वक कथन द शपथ पूर्वक

[illegible]

[illegible]

कथनेशपथ पूर्वक कथनशशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनपशपथ पूर्वक कथनाशपथ
 पूर्वक कथनरशपथ पूर्वक कथनिशपथ पूर्वक कथनतशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथननशपथ पूर्वक कथनहशपथ पूर्वक कथनीशपथ पूर्वक कथनंशपथ पूर्वक कथन शपथ
 पूर्वक कथनकशपथ पूर्वक कथनिशपथ पूर्वक कथनयशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक
 कथन शपथ पूर्वक कथनथशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथन।शपथ पूर्वक कथनइसी
 तरह, मलखाना के प्रभारी P.W.12 को भी ऐसा कोई आदेश पारित होने की बात याद
 नहीं थी।[.....]

13. जब्ती के संबंध में एक गंभीर संदेह है।शपथ पूर्वक कथनपशपथ पूर्वक कथनीशपथ
 पूर्वक कथन.शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनडशपथ पूर्वक कथनबशपथ पूर्वक
 कथनशपथ पूर्वक कथनलशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनयशपथ पूर्वक कथनूशपथ
 पूर्वक कथन.शपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथन 5 शपथ पूर्वक कथन,शपथ पूर्वक
 कथन शपथ पूर्वक कथनजशपथ पूर्वक कथनोशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनसशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनवशपथ पूर्वक कथनयशपथ पूर्वक कथनंशपथ
 पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनएशपथ पूर्वक कथनकशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनपशपथ पूर्वक कथनुशपथ पूर्वक कथनलशपथ पूर्वक कथनिशपथ पूर्वक
 कथनसशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनअशपथ पूर्वक कथनधशपथ पूर्वक
 कथनिशपथ पूर्वक कथनकशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथनरशपथ पूर्वक कथनीशपथ
 पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनथशपथ पूर्वक कथनेशपथ पूर्वक कथन,शपथ पूर्वक कथन
 शपथ पूर्वक कथननशपथ पूर्वक कथनेशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनघशपथ पूर्वक
 कथनटशपथ पूर्वक कथननशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनसशपथ पूर्वक कथनेशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनपशपथ पूर्वक
 कथनहशपथ पूर्वक कथनलशपथ पूर्वक कथनेशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनभशपथ पूर्वक कथनीशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनवशपथ पूर्वक
 कथनहशपथ पूर्वक कथनीशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनजशपथ पूर्वक

कथनबशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनतशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनकशपथ पूर्वक कथनीशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनगशपथ पूर्वक
 कथनईशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनसशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक
 कथनमशपथ पूर्वक कथनगशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनरशपथ पूर्वक कथनीशपथ
 पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनकशपथ पूर्वक कथनेशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनअशपथ पूर्वक कथनसशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनतशपथ पूर्वक कथनिशपथ
 पूर्वक कथनतशपथ पूर्वक कथनशपथ पूर्वक कथनवशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनपशपथ पूर्वक कथनरशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक कथनबशपथ पूर्वक
 कथनयशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथननशपथ पूर्वक कथन शपथ पूर्वक
 कथनदशपथ पूर्वक कथनिशपथ पूर्वक कथनयशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथन शपथ
 पूर्वक कथनथशपथ पूर्वक कथनाशपथ पूर्वक कथन।शपथ पूर्वक कथनअभियोजन पक्ष के
 प्रकरण के आधार को नष्ट करने वाली इस गवाही को चुनौती भी नहीं दी गई है।

14. दोनों न्यायालयों ने P.W.11 के कथन को सत्य के रूप में लेते हुए यंत्रवत रूप से एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर निर्भरता रखी है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को कम से कम कुछ पहलुओं पर मत के रूप में लिया जा सकता है। बहुत सारी भौतिक अनियमितताएँ हैं जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर ही गंभीर संदेह पैदा करती हैं। एक उचित विश्लेषण पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित निर्णयों को अपास्त ना चाहिए और अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त जाना चाहिए।"

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 32

19. सिमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 906 रिपोर्ट की गई।

[illegible]

(पूर्वोक्त)ष(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) प्रकरण (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)े
 (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ब(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)ं
 (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)ं(पूर्वोक्त)भ(पूर्वोक्त)ी
 (पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)स(पूर्वोक्त)ं(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)े(पूर्वोक्त)ह(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)ै(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)त(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ह(पूर्वोक्त)ै(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)
 (पूर्वोक्त)ब(पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)म(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त) अभिनिर्धारित किया जाता है
 (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ग(पूर्वोक्त)य(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)ए(पूर्वोक्त)क(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)न(पूर्वोक्त)ि
 (पूर्वोक्त)ष(पूर्वोक्त)ि(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)ध(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)प(पूर्वोक्त)द(पूर्वोक्त)ा
 (पूर्वोक्त)र(पूर्वोक्त)्(पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त)थ(पूर्वोक्त)ा(पूर्वोक्त)।(पूर्वोक्त)सुसंगत
 टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“9. इसलिए, जब्ती के समय सभी पैकेटों से नमूने लेने का पीडब्लू-7 का अधिनियम मोहनलाल के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप नहीं है। इससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि बरामद किया गया पदार्थ एक प्रतिबंधित पदार्थ था।”

20. मोहम्मद खालिद और अन्न बनाम तेलंगाना राज्य (2024) 5 में सूचित किया गया एस. सी. सी. 393 में अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह था कि अभियुक्त व्यक्तियों से कथित तौर पर 80 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। हालाँकि, जब्त किए गए पदार्थ से कथित रूप से मौके पर तीन नमूने लिए गए थे, फिर भी न तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसा किया गया और न ही नमूने एक द्वारा प्रमाणित किए गए, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के अधीन आवश्यक था। इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को इस आधार पर निर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण

में स्पष्ट खामियां थीं जिससे यह संदेह पैदा हो गया कि क्या नमूने जब्त किए जाने के समय से एफएसएल तक पहुंचने तक बिना छेड़छाड़ के या सुरक्षित अभिरक्षा में रहे। इसने पाया कि एफएसएल रिपोर्ट में नमूने पर मुहरों के बारे में खुलासा नहीं किया गया था और हालांकि यह कहा गया था कि दो नमूने एफएसएल को भेजे गए थे, फिर भी वस्तुतः कुल तीन नमूने वस्तुतः प्रयोगशाला में पहुंचे।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 33

इसी तरह, जब्त किए गए शेष पदार्थ पर भी कोई मुहर नहीं थी। जब्त की गई सामग्री को सुरक्षित रखने के दौरान, उन्हें संग्रहीत करने के लिए कंटेनरों को बिना किसी स्पष्टीकरण के बदल दिया गया था। उपरन्तु ोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया जाता है कि नमूने लेने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन प्रक्रिया का पालन न करने के साथ-साथ नमूने के पैकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा परन्तु संदेह ने एफ. एस. एल. रिपोर्ट को एक अपशिष्ट पत्र के अलावा और कुछ नहीं बताया जिसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“24. एफ. एस. एल. रिपोर्ट (एक्स. पी-11) पंच चिट और मुहरों और नमूनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर के बारे में खुलासा नहीं करता है। न्यायालय (मुद्दामल) में जमा की गई संपत्ति पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने मुद्दामल गांजे के मूल तीन पैकेटों को सुरक्षित रखने के लिए सात नए थैलों में बदलने के लिए न्यायालय से कोई अनुमति नहीं ली थी।

25. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में ये स्पष्ट खामियां एक अपरिहार्य निष्कर्ष को जन्म देती हैं कि अभियोजन पक्ष जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक नमूने के पैकेटों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक लिंक साक्ष्य को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। बल्कि, तीन

नमूनों को एफएसएल को भेजे जाने की संभावना इस तथ्य से नकार दी जाती है कि जब्ती अधिकारी ने एकत्र किए गए तीन नमूनों में से एक को अभियुक्त को सौंप दिया। इस प्रकार, केवल दो नमूने बचे रहे जबकि तीन नमूने एफएसएल में पहुंचे। यह विसंगति अभियोजन पक्ष के प्रकरण को पूर्णतः से ध्वस्त कर देती है।

26. मान लीजिए, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-ए के अधीन अन्वेषण अधिकारी अ.सा. 5 द्वारा क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक सूची तैयार करने और नमूने प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, एफ. एस. एल. रिपोर्ट (एक्स. पी-11) और कुछ नहीं परन्तु एक बेकार कागज है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अभियुक्त ए-3 और ए-4 को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था।"

(जोर दिया गया)

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 34

21. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम काशिफ ने 2024 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. में रिपोर्ट की

3848 अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करने में विलंब हुई थी, विशेष रूप से जब्त ट्रामाडोल गोलियों से नमूने लेने में। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपील में अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर अभिनिर्धारित किया जाता है , जो इस प्रकार है:-

(i) पहला, कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क को सम्मिलित करने के पीछे का उद्देश्य जब्त की गई नशीली औषधियों और मादक पदार्थों के शीघ्र व्ययन के लिए एक तंत्र प्रदान करना था, जिसमें खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन,

उचित भंडारण स्थान की बाधाओं और अन्य सुसंगत विचारों को ध्यान में रखा गया था। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“20. अब, जहाँ तक धारा 52-क का संबंध है, उसमें प्रयुक्त भाषा अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं और अन्य सुसंगत विचारों को ध्यान में रखते हुए जब्त की गई स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के शीघ्र व्ययन के लिए उक्त प्रावधान जोड़ा गया था। उक्त खंड में उपयोग की गई सरल प्रयुक्त भाषा के अलावा, इसके शीर्षक से यह भी स्पष्ट होता है कि जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के लिए उक्त प्रावधान जोड़ा गया था। व्याख्या के सुव्यवस्थित नियम के अनुसार, किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने और विधायी इरादे को समझने के लिए अनुभाग शीर्षक या सीमांत नोट अवलंब लिया किया जा सकता है। धारा शीर्षक स्वयं अधिनियम भाग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे न केवल धारा के प्रावधानों की व्याख्या के रूप में पढ़ा जा सकता है, परन्तु यह धारा के प्रावधानों के निर्माण के लिए एक बेहतर कुंजी भी प्रदान करता है जो केवल प्रस्तावना द्वारा वहन की जा सकती है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 35

"

21. 1989 के अधिनियम 2 डब्ल्यू. ई. एफ. 29.05.1989 द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के लंबे शीर्षक में "स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए" शब्दों के सम्मिलन के साथ "जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन" शीर्षक के साथ धारा 52-क का अंतःस्थापन, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि

धारा 52-क का उक्त प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के लंबे शीर्षक में, 1989 के अधिनियम 2 डब्ल्यू. ई. एफ. 29.05.1989 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। जब्त की गई नशीली औषधियों और मनोदैहिक पदार्थों का शीघ्र व्ययन, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक उपायों में से एक है। धारा 52-क का शीर्षक अर्थात् जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन उक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के उद्देश्य और कारण को चित्रित करता है और इस तरह के शीर्षक को रेखांकित नहीं किया जा सकता है। धारा 52-क के खाली वाचन से यह भी बहुत स्पष्ट है कि इसकी उप-धारा (1) केंद्र सरकार को खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधा या किसी अन्य सुसंगत विचार को प्रतिफल रखते हुए, मादक औषधियों, मादक पदार्थों को उनकी जब्त के बाद जल्द से जल्द उनके व्ययन के उद्देश्य से, ऐसे अधिकारी द्वारा और उस तरीके से निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है जो केंद्र सरकार उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित करे। 22. धारा 52-क की उप-धारा (2) मुकदमे से पहले के स्तर में ऐसी प्रतिबंधित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 36

उक्त उप-धारा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जहां किसी भी मादक पदार्थ, मादक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या परिवहन को जब्त कर लिया गया है और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेज दिया गया है, तो उप-धारा (1) के अनुसार अधिकृत संबंधित अधिकारी को उक्त प्रावधान में बताए गए तरीके से ऐसी औषधियों या पदार्थों की एक सूची तैयार करनी होगी, और फिर मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन करना होगा कि (ए) इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की

उपस्थिति में, ऐसी औषधियों की तस्वीरें लेना। मादक पदार्थ, पदार्थ या परिवहन और ऐसी तस्वीरों को सही के रूप में प्रमाणित करना; या (ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना। उप-धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि उप-धारा (2) के अधीन किए गए आवेदन को मजिस्ट्रेट द्वारा जल्द से जल्द अनुमति दी जानी चाहिए और इसकी उप-धारा (4) में कहा गया है कि ऐसी सूची, तस्वीरें और इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की सूची, यदि कोई हो, उप-धारा (2) के अधीन और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी।

(जोर दिया गया)

(ii) दूसरा, धारा 52 क उप-धारा (2) उप-धारा (1) के अधीन विचार किए गए उद्देश्य के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है, यानी जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के व्ययन के लिए। उक्त प्रक्रिया में किसी भी उल्लंघन, विचलन या विलंब को अधिक से अधिक एक अनियमितता कहा जाएगा न कि एक अवैधता जो अभियोजन के पूरे प्रकरण को रद्द या दूषित कर देगी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का केवल गैर-अनुपालन अभियुक्त को बरी या जमानत का हकदार नहीं बनाएगा, यदि अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के उचित अनुपालन में प्रतिबंधित पदार्थ की तलाशी और जब्ती को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“23. जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, धारा 52-क की उप-धारा (2) जब्त की गई निषिद्ध या नियंत्रित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के लिए उसकी उप-धारा (1) में विचार की गई प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है।

संबंधित अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन करने में कोई विचलन या विलंब या मजिस्ट्रेट की भाग ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने में विलंब को अधिक से अधिक अनियमितता कहा जा सकता है न कि एक अवैधता जो अभियोजन के पूरे प्रकरण को रद्द या दूषित कर देगी। न्यायालयों द्वारा अब तक विकसित न्यायशास्त्र "अनियमित कार्यवाही" और "अवैध कार्यवाही" मध्य स्पष्ट विभेद करता है।" जबकि एक अनियमितता को ठीक किया जा सकता है, एक अवैधता नहीं हो सकती है। एक अनियमितता को परिणाम को प्रभावित किए बिना अनदेखा या ठीक किया जा सकता है, जबकि एक अवैधता कार्यवाही को रद्द कर सकती है। नियम या विनियम की प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन जो प्रक्रिया में चूक का संकेत दे सकता है, एक अनियमितता के रूप में माना जा सकता है, और विधिक कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा, परन्तु इसे कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक अवैधता के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

24. खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, उचित भंडारण स्थान की बाधा आदि को ध्यान में रखते हुए, केवल जब्त की गई प्रतिबंधित औषधियों और पदार्थों के शीघ्र व्ययन के उद्देश्य से धारा 52-क डाली गई थी। प्रतिबंधित औषधियों और पदार्थों के शीघ्र व्ययन के बारे में इस मुद्दे पर कोई दो राय नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब इसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए डाला गया था, हालांकि मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए अधिकृत संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधान के विलंबित अनुपालन या गैर-अनुपालन को कभी भी अवैधता के रूप में नहीं माना जा सकता है जो अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने या विचारण में बरी होने का दावा करने का हकदार होगा, जब अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की जाती है कि प्रतिबंधित पदार्थ की खोज और जब्ती की गई थी। अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के उचित अनुपालन में।

25. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, अदालतें यह अनुमान लगाने की हकदार हैं, जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ आदि के संबंध में अधिनियम के अधीन अपराध किया था, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जवाब देने में विफल रहा।

अतः जब तक कि विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा इस तरह के वैधानिक अनुमान का खंडन नहीं किया जाता है, तब तक प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जाएगा कि अभियुक्त ने अधिनियम के अधीन अपराध किया था, यदि उसके पास निषिद्ध दवा और पदार्थ पाया जाता है, और यदि वह धारा 54 के उक्त प्रावधान में विचार के अनुसार संतोषजनक रूप से जवाब देने में विफल रहता है। एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी यदि धारा 52-क के गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन को विचारण को दूषित करने या अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का हकदार माना जाता है, यद्यपि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया हो, और यद्यपि उसके द्वारा वैधानिक धारणा का खंडन नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है गया हो। विधायिका की आशय ऐसी नहीं हो सकती थी।

XXX XXX XXX

36. इस स्तर पर, हमें यूसुफ़ @आसिफ़ बनाम राज्य (2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1328) के प्रकरण में, और मोहम्मद खालिद बनाम तेलंगाना राज्य ((2024) 5 एस. सी. सी. 393) के प्रकरण में, जिसमें इस न्यायालय द्वारा धारा 52-क का पालन न करने और मोहनलाल के प्रकरण में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करने पर दोषसिद्धि को अपास्त दिया गया है, सिमरजीत बनाम पंजाब राज्य (दाण्डिक अपील संख्या 1443/2023) के प्रकरण में हाल के फैसलों से निपटना चाहिए। इस तथ्य के अलावा कि उक्त मामलों का निर्णय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर किया गया है, किसी भी निर्णय में धारा 52-क के संबंध में या एनडीपीएस अधिनियम

के अधीन विचारण के दौरान एकत्र किए गए किसी भी अन्य साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दे पर कोई विधि निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है। अंतः हमने धारा 52-क और अन्य सांविधिक स्थायी आदेशों के विधायी इतिहास के साथ-साथ न्यायिक घोषणाओं पर भी विचार किया है, जो स्पष्ट रूप से एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि धारा 52-क का विलंबित अनुपालन या गैर-अनुपालन न तो दोषसिद्धि को प्रभावित करने वाले विचारण को दूषित करता है और न ही जमानत लेने का एकमात्र आधार हो सकता है। हमारी मत में, पूरन मल और बलदेव सिंह के प्रकरण में संविधान पीठों के निर्णयों को कम संख्या वाले पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों में की गई किसी भी टिप्पणी पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अधिनियम की योजना, उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किए बिना और बाध्यकारी पूर्ववर्तियों पर विचार किए बिना भी किए जाते हैं।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 39

XXX XXX XXX

39. उपरोक्त चर्चा के परिणाम को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या अधिनियम की योजना, उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसकी व्याख्या शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए न कि उदारता से, जो अंततः अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य और प्रस्तावना को विफल कर सकता है।

(iii) जब्त मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली धारा 52-क को सम्मिलित करने का उद्देश्य जब्त निषिद्ध औषधियों और पदार्थों का शीघ्र व्ययन सुनिश्चित करना था। इसे 1989 में नशीली औषधियों और

मनोदैहिक पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने के उपायों में से एक के रूप में सम्मिलित किया गया था।

((iv) धारा 52 क उप-धारा (2) ओकर उप-धारा (1) मे यथा अनुध्यात प्रक्रियाकें निर्धारित करैत अछि आ ओकर कोनो चूक या विलम्बित अनुपालन मात्र एकटा प्रक्रियात्मक अनियमितता होयत जे न त विचारण कें जमानत पर रिहा करबाक अधिकार देत आ न त मात्र ओहि आधार पर विचारणकें दूषित करत।

(v) अन्वेषण के दौरान या उसके बाद तलाशी और जब्ती करने में की गई कोई भी प्रक्रियात्मक अनियमितता या अवैधता, स्वयं अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए पूरे साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। न्यायालय को सभी परिस्थितियों पर विचार होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

(vi) धारा 52-क के अनुपालन में कोई भी चूक या विलंब न तो विचारण को दूषित करेगी और न ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार देगी। न्यायालय को अन्य परिस्थितियों और अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए अन्य प्राथमिक साक्ष्य के साथ-साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के अधीन अनुमेय वैधानिक अनुमान पर भी विचार होगा।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 40

(जोर दिया गया)

22. विधि के उपरोक्त स्पष्टीकरण से, यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन स्थायी आदेश (ओं)/नियमों के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य केवल मादक पदार्थों और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों के सुरक्षित और जल्द व्ययन

के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया का प्रावधान करना है ताकि ऐसे पदार्थों को लंबे समय तक भंडारण के कारण जीवन को खतरे में डालने से रोका जा सके, क्षरण या खराब होने के कारण किसी भी प्रमाणिक मूल्य का होना बंद हो जाए, या गलत हाथों में पड़ने या चोरी आदि के कारण बाजार में फिर से प्रसारित होने से रोका जा सके।

23. हालाँकि यह सच है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम का अध्याय 5 विशेष प्रारूप से, धारा 42 से 57 प्रावधानों की एक अनूठी योजना है जो कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और शर्तों को निर्धारित करती है जिनका अनिवार्य प्रारूप से पालन किया जाना चाहिए, तलाशी लेने की प्रक्रिया से लेकर प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती और बरामदगी तक, इसके सुरक्षित रख-रखाव और हैंडलिंग तक, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि केवल विलंब या उसका पालन न करने के परिणामस्वरूप विचारण दूषित हो जाएगा, या अभियोजन का पूरा प्रकरण ध्वस्त हो जाएगा।

24. हमारे द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों से जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि धारा 52-क या उसके अधीन स्थायी आदेश (ओं)/नियमों के अधीन प्रक्रिया का केवल गैर-अनुपालन स्वयं विचारण को दूषित या स्वचालित रूप से बरी नहीं करेगा।

उन सभी मामलों में जहां इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया था, उसने ऐसा केवल इस कारण से नहीं किया कि धारा 52-क का उल्लंघन हुआ था, परन्तु अभियोजन पक्ष के प्रकरण में अन्य विसंगतियों या कमियों के कारण और उनके बल पर किया, जिसने इसे संदिग्ध बना दिया था। इस प्रकार, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए लगातार धारा 52-क के अधीन प्रक्रिया के केवल गैर-अनुपालन से कुछ अधिक की तलाश की है जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण को संदिग्ध बनाता है।

वस्तुतः इस न्यायालय ने धारा 52-क के संदर्भ में उक्त प्रकरण में प्रक्रियात्मक कमियों के बारे में सचेत होने के बावजूद कहा कि मामला पूरी तरह से अलग हो सकता

है यदि कोई अन्य विसंगतियां नहीं थीं या यदि अभिलेख पर अन्य सामग्री स्वतंत्र गवाहों द्वारा आश्वस्त या समर्थित पाई गई थी।

सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“107. मुहर भी मलखाने में जमा नहीं की गई थी। चूंकि इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि वसूली की पवित्रता सुनिश्चित की गई थी। यहां तक कि मालखाना रजिस्टर भी पेश नहीं प्रस्तुत था।

XXX XXX XXX

108. ठीक होने के समय के संबंध में भी विसंगतियाँ हैं। वसूली ज्ञापन, प्रदर्शनी पी. बी., से पता चलता है कि जब्ती कंडिका समय 11.20 अपराह्न था। अ.सा. 1 कुलवंत सिंह और अ.सा. 2 के. के. गुप्ता ने हालांकि कहा कि जब्ती कंडिका समय रात 8:30 बजे था। अपीलार्थी कंडिका बचाव यह था कि कुछ यात्री द्वारा छोड़ा गया कुछ कंडिका टैन उसे दिया गया था, इस संबंध में चालक दल कंडिका सदस्य होना महत्वपूर्ण है (जितेंद्र पैरा 6 देखें)। कहा जाता है कि पंचनामा अ.सा. 1 के अनुसार रात 10 बजे खींचा गया था, जबकि अ.सा. 2 ने कहा कि पंचनामा रात 8:30 बजे खींचा गया था। अधिनियम की धारा 50 के अधीन व्यक्तिगत तलाशी लेने का कथित विकल्प रखने वाले प्रदर्शनी पीए में केवल उस समय का उल्लेख किया गया था जब उड़ान हवाई अड्डे पर उतरी थी।

XXX XXX XXX

111. इस प्रकृति के प्रकरण में, जहां बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, अपीलार्थी को उनकी गैर-परीक्षा से गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया है। यह सच है कि जो मायने रखता है वह साक्ष्य की गुणवत्ता है न कि उसकी मात्रा, परन्तु इस प्रकृति के प्रकरण में जहां प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी, यह अभियोजन

पक्ष को यह समझाना है कि भौतिक गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की गई थी।मामला अलग हो सकता था अगर भौतिक वस्तुओं को बरामद करने वाले अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया जाता।अन्वेषण अधिकारी का बयान पूरी तरह से निराधार है।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उक्त गवाह मुकर गए थे।स्वतंत्र गवाहों की परीक्षण और भी अधिक आवश्यक थी क्योंकि तलाशी और जब्ती के संबंध में आधिकारिक गवाहों के बयान में बड़ी संख्या में विसंगतियां मौजूद हैं जिन पर अब हम ध्यान दे सकते हैं।"

(जोर दिया गया)

26. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क या उसके अधीन नियमों/स्थायी आदेशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालाँकि, इस तरह का निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, इस बारे में कोई कठोर और तेज नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और यह सब प्रत्येक प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क या उसके अधीन स्थायी आदेश (ओं)/नियमों से इस तरह की विलंब या विचलन अपने आप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों जो ऐसा अनुपालन नहीं किया गया होता।आवश्यकता यह है कि अदालतें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों के बारे में एक समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाएँ और किसी भी प्रक्रियात्मक चूक या विचलन के साथ इसे संबंधित या जोड़ें। इस प्रकार, जब भी धारा 52-क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का कोई विचलन या गैर-अनुपालन होता है, तो न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के प्रकरण में मौजूद विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सराहना करने की आवश्यकता होती है।प्रक्रियात्मक त्रुटि या कमी के ऐसे मामलों में, न्यायालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और विसंगतियों को नजरअंदाज या हल्के में नहीं

लेना चाहिए और इसके बजाय ऐसी सामग्री के कब्जे, जब्ती या वसूली के पहलुओं को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर सामग्री की और भी अधिक सख्ती से जांच करनी चाहिए।

27. ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में या उसके अनुपालन को पर्याप्त रूप से साबित करने में अभियोजन पक्ष की भाग पुलिस की भाग चूक हुई है, न्यायालयों के अभिलेख एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के अधीन अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध करने के वैधानिक अनुमान का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय को अन्य सामग्री से अभियुक्त व्यक्तियों से ऐसी सामग्री की जब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्टि न हो। इसी तरह, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अन्य सामग्री विश्वास को प्रेरित करती है और अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली और कब्जा दोनों के बारे में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, अदालतें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

28. (2002) 4 एस. सी. सी. 380 में रिपोर्ट किए गए खेत सिंह बनाम भारत संघ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है

कि एन. सी. बी. द्वारा जारी स्थायी आदेश और उसमें परिकल्पित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। इसने आगे कहा कि हालांकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें पत्र के इन दिशानिर्देशों का पालन करना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से संयोग से ठीक होने या मौके पर उचित सुविधा की कमी के मामलों

में। प्रक्रियात्मक अवैधता की ऐसी परिस्थितियों में, इसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं होंगे और बल्कि न्यायालयों को केवल सभी परिस्थितियों पर विचार और यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया था या नहीं।

इसके अलावा इसने निर्देश दिया कि प्रक्रियात्मक खामियों या विलंब के ऐसे मामलों में, अधिकारी जापन तैयार करते समय इस तरह की विलंब या कमी के पीछे के कारण को इंगित करने और समझाने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“5. यह सच है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित अन्वेषण के मामले में प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाशी और जब्ती एक गंभीर पहलू है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में तलाशी और जब्ती के तरीके के बारे में एक विस्तृत प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। यदि इन दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, तो अदालतें गंभीरता से विचार करेंगी और अभियुक्त को लाभ दिया जाएगा।एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और कानून के अधीन निर्धारित न्यूनतम सजा लंबी अवधि के लिए कारावास है।चूँकि किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के कब्जे को अधिनियम के अधीन दंडनीय बनाया गया है, इसलिए अपीलार्थी से वस्तु की जब्ती महत्वपूर्ण है।

XXX XXX XXX

10. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों का पालन एन. डी. पी. एस. अधिनियम के दायरे में आने वाले अपराधों की अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाना है, यद्यपि इन निर्देशों में विधि का बल न हो।इनका उद्देश्य अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए।यह सच है कि जब अन्वेषण या तलाशी के दौरान कोई प्रतिबंधित वस्तु जब्त की जाती है, तो विधि के अनुसार मौके पर एक ज़ब्त मजार तैयार की

जानी चाहिए। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें अधिकारी के लिए मौके पर मजार तैयार करना संभव नहीं होता, क्योंकि यह एक आकस्मिक वसूली हो सकती है और अधिकारी के पास मौके पर ही जब्त की मजार तैयार करने की सुविधा नहीं हो सकती है। यदि जब्त उस स्थान पर की जाती है जहाँ कोई गवाह नहीं है और प्रतिबंधित वस्तु या अन्य आवश्यक सुविधाओं का वजन करने की कोई सुविधा नहीं है, तो अधिकारी बाद के स्तर में जब भी सुविधाएं उपलब्ध हों, तब जब्त की मजार तैयार कर सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए उचित और उचित आधार हों।

उस स्थिति में, जहाँ बाद के स्तर में जब्त की मजार तैयार किया जाता है, अधिकारी को अपने कारणों का संकेत देना चाहिए कि उसने बरामदगी के स्थान पर मजार क्यों तैयार नहीं किया था। यदि जब्त की मजार तैयार करने में कोई अत्यधिक विलंब होती है, तो यह अभियुक्त से कथित रूप से जब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर दे सकता है। इस बात के भी आरोप हो सकते हैं कि जब्त की गई वस्तु को स्वयं प्रतिस्थापित किया गया था और कुछ अन्य वस्तुओं को अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने के लिए लगाया गया था। इन संदिग्ध परिस्थितियों से बचने के लिए और तलाशी और जब्त के संबंध में एक निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए, यह सदैव वांछनीय है कि जब्त की मजार को उसी स्थान पर तैयार किया जाए जहाँ से प्रतिबंधित वस्तुओं को अभिरक्षा में लिया गया था।

XXX XXX XXX

16. इस मुद्दे पर विधि बहुत स्पष्ट है कि भले ही तलाशी और जब्त करने में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक अवैधता हो, लेकिन इसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं होंगे और न्यायालय सभी परिस्थितियों विचार करेगी और यह पता लगाएगी कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया था। यदि तलाशी और जब्त

विधि और प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना थी और इस तरह की तलाशी या जब्ती के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या अंतर्वेशन की कोई संभावना थी, तो यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य साक्ष्य में स्वीकार्य होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

(जोर दिया गया)

29. पंजाब राज्य बनाम माखन चंद के (2004) 3 एस. सी. सी. 453 में दिए गए निर्णय में भी इसी तरह के विचार को दोहराया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन जारी स्थायी आदेशों की अन्वेषण करने के बाद अभिनिर्धारित किया जाता है था कि उक्त आदेश के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों को यह देखने के लिए मार्गदर्शन करना है कि अन्वेषण के आरोप ी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए और वे अक्षम्य नियम नहीं थे।सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

- "10. इस तर्क में भी दो कारणों से कोई सार नहीं है।सबसे पहले, धारा 52-ए, जैसा कि सीमांत नोट इंगित करता है, "जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन" से संबंधित है।उप-धारा (1) के अधीन, केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं और ऐसे अन्य सुसंगत विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ मादक औषधियों या मादक पदार्थों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है, ताकि भले ही वे किसी दाण्डिक प्रकरण में जब्त की गई भौतिक वस्तुएं हों, लेकिन उन्हें उप-धारा (2) और (3) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निपटाया जा सके।यदि धारा 52-क की उप-धारा (2) और (3) में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और किसी आवेदन पर मजिस्ट्रेट उप-धारा (2) द्वारा अनुध्यात प्रमाण पत्र विवाद्यक करता है, तो उप-धारा (4) में प्रावधान है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऐसी सूची, मादक पदार्थों या

पदार्थों की तस्वीरें और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित धारा 52-क की उप-धारा (2) के अधीन तैयार किए गए नमूनों की कोई सूची, अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी। अतः धारा 52-ए (1) केंद्र सरकार को किसी अभियुक्त की खोज के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार नहीं देती है, परन्तु केवल जब्त स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन से संबंधित है।¹¹ दूसरा, जब वही स्थायी आदेश खेत सिंह बनाम भारत संघ में प्रतिफल के लिए आए तो इस न्यायालय ने यह प्रतिफल व्यक्त किया कि उनका उद्देश्य केवल अधिकारियों को यह देखने के लिए मार्गदर्शन करना है कि अन्वेषण के आरोप की अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए। यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है गया कि वे अपरिहार्य नियम नहीं थे क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें जब्ती अधिकारी के लिए मौके पर ही मजार तैयार करना संभव नहीं हो सकता है, यदि यह एक संयोग वसूली है, जहां अधिकारी के पास मौके पर ही जब्ती मजार तैयार करने की सुविधा नहीं हो सकती है। इसलिए, हम इस विवाद में कोई सार नहीं पाते हैं।" (जोर दिया गया)

30. इस प्रकार, ऊपर से यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में स्थायी आदेशों/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, और इस तरह जो आवश्यक है वह उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है।

हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, अलग-अलग परिस्थितियों के कारण, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नमूने के उद्देश्य से तुरंत आगे भेजना सदैव संभव नहीं हो सकता है। यह विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा, जब्ती के स्थान की विशिष्ट प्रकृति, या इस तरह से जब्त किए गए पदार्थ की अस्थिरता के कारण जो धीमी और सुरक्षित हैंडलिंग की गारंटी दे सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ नमूना लिए जाने

के बाद इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ को इसकी खतरनाक प्रकृति के कारण संरक्षित नहीं किया जा सकता है और इसे तुरंत या इसके विपरीत नष्ट किया जाना चाहिए जहां प्रकरण की प्रकृति मांग करती है कि उन्हें संरक्षित किया जाए और अछूता रहे। ऐसी कई संभावनाओं या स्थितियों के कारण, न तो पुलिस से वास्तविक रूप से धारा 52-क या उसके संबद्ध नियमों/आदेशों में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की उम्मीद की जा सकती है, और न ही प्रत्येक प्रकरण की अलग-अलग स्थितियों या आवश्यकताओं के कारण पत्र के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा में प्रत्येक प्रक्रिया के अनुपालन पर जोर देने के लिए एक स्ट्रेट-जैकेट सूत्र लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वास्तव में केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों/नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन आवश्यक है, और इसमें कोई भी विसंगति या विचलन न्यायालय को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पुलिस के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब विचारण के परिणाम की बात आती है, तो ऐसी विसंगतियाँ सहित अभिलेख पर पूरी सामग्री का संचयी दृष्टिकोण लेने के बाद ही न्यायालय को अभियुक्त को दोषी ठहराने या बरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

धारा 52-क के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का गैर-अनुपालन केवल उन मामलों में घातक हो सकता है जहां इस तरह का गैर-अनुपालन मामले के दिल या जड़ तक जाता है। यह केवल वे विसंगतियाँ हैं जो विशेष रूप से अवैध कब्जे या वसूली के बारे में संदेह या गलत धारणा पैदा करने की प्रवृत्ति रखती हैं, या जब्त किए गए पदार्थ की शक्ति, गुणवत्ता या वजन को बढ़ा-चढ़ाकर बताने या बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती हैं जो प्रासंगिक हो सकती हैं और न कि केवल लिपिकीय गलतियाँ, बशर्ते कि उन्हें ठीक से समझाया गया हो। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए कोई विशेष विसंगति महत्वपूर्ण है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, जब्त किए गए पदार्थ की प्रकृति, अभिलेख पर साक्ष्य की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करेगा।

31. साथ ही, इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की जब्ती, सूची और व्ययन से संबंधित है और जब्ती या वसूली को साबित करने के लिए साक्ष्य नियमों को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करता है, और न ही यह उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें विचारण के दौरान साक्ष्य का नेतृत्व किया जाना है। यह किसी भी तरह से निर्धारित नहीं करता है कि मादक पदार्थों की जब्ती या बरामदगी को कैसे साबित किया जाना है या इसे साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में क्या लाया जा सकता है। बल्कि, यह साक्ष्य के सामान्य सिद्धांत हैं, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम में निहित है जो यह नियंत्रित करता है कि जब्ती या वसूली कैसे साबित की जा सकती है।

32. इस प्रकार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधीन प्रक्रिया के अनुपालन के बिना अभियोजन पक्ष खुद को असहाय नहीं बनाएगा, परन्तु फिर भी इस संबंध में ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती या बरामदगी को साबित कर सकता है जैसे कि जब्त करने वाले अधिकारी की जांच करना, बरामदगी के लिए स्वतंत्र गवाह पेश करना, या न्यायालय के समक्ष जब्त किए गए पदार्थों की मूल मात्रा प्रस्तुत करना। इन सामग्रियों के साक्ष्य मूल्य का अंततः मूल्यांकन किया जाना है और न्यायालय द्वारा देखा जाना है। न्यायालय को इस बात पर विचार चाहिए कि क्या साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं। न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता और गवाहों की विश्वसनीयता पर गौर करना चाहिए, उनकी जांच में अधिक सतर्क रहने के लिए ध्यान रखना चाहिए जहां ऐसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

33. यहां तक कि उन मामलों में भी जहां धारा 52-क की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है, यह आवश्यक रूप से विचारण को दूषित नहीं करता है या स्वचालित रूप से बरी होने की गारंटी नहीं देता है। न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रक्रियात्मक खामियों को समग्र साक्ष्य के संदर्भ में

देखा जाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष अन्यथा अभिरक्षा की श्रृंखला स्थापित कर सकता है, विश्वसनीय गवाही के साथ जल्दी की पुष्टि कर सकता है, और अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित कर सकता है, तो धारा 52-क का मात्र गैर-अनुपालन घातक नहीं हो सकता है।

प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं के बजाय ठोस न्याय पर जोर दिया जाना चाहिए, और यह ध्यान में रखते हुए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम का हितकारी उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाना है।

34. इस स्तर पर हम किसी भी भ्रम को दूर करने की दृष्टि से धारा 52-क की उप-धारा (4) के दायरे और उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। धारा 52-क की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अधीन अपराध की सुनवाई करने वाला प्रत्येक न्यायालय, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित जब्त किए गए पदार्थ की सूची, तस्वीरों और नमूनों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानेगा।

35. इस प्रावधान में यह सम्मिलित है कि, जहां जब्त किए गए पदार्थ को अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजे जाने के बाद आविष्कार किया जाता है, फोटो खींचा जाता है और उसके बाद उक्त प्रावधान और नियमों/स्थायी आदेशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूने लिए जाते हैं, और इसे मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित भी किया जाता है, तो ऐसी प्रमाणित सूची, तस्वीरों और नमूनों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। "होगा" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि न्यायालय के लिए इसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानना अनिवार्य होगा यदि दो शर्तों को पूरा किया जाता है (i) कि सूची, तस्वीरों और नमूने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हैं और (ii) न्यायालय संतुष्ट है कि पूरी प्रक्रिया प्रावधान और इसके नियमों/स्थायी आदेश (ओं) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप और पर्याप्त अनुपालन में की गई थी।

36. यहां तक कि जहां जब्त की गई सामग्री की बड़ी मात्रा को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के उल्लंघन में नष्ट या निपटाया जाता है, वहां भी इसका कोई महत्व नहीं होगा और इसका किसी भी सूची, तस्वीरों या ऐसे पदार्थ के नमूनों के साक्ष्य मूल्य पर कोई असर नहीं होगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित है और उक्त प्रावधान के संदर्भ में तैयार प्रस्तुत है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि धारा 52-क की उप-धारा (4) को विचारण को प्रभावित करने वाले जब्त किए गए पदार्थों के क्षरण, चोरी या चोरी के मुद्दे को कम करने के लिए डाला गया था। अक्सर यह देखा गया कि लंबे समय तक विचारण ों के कारण, जब्त किया गया पदार्थ गुणवत्ता में बिगड़ जाता है या विचारण शुरू होने से पहले ही पूर्णतः से गायब हो जाता है, जब तक मुकदमा शुरू होता है, तब तक ऐसी सामग्री की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का टुकड़ा होता है जो यह स्थापित करता है कि कब्जा गायब हो गया है और विचारण का परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष बन जाता है। विधायिका इस तथ्य के प्रति सचेत होने के कारण, सूची, तस्वीरों और नमूनों के प्रारूप में निषिद्ध पदार्थों के कब्जे के ऐसे साक्ष्य के संरक्षण के लिए एक तत्व पेश करना उचित समझा और एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता के माध्यम से कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और पर्यवेक्षण को सम्मिलित किया, जो अब धारा 52-क की उप-धारा (4) में निहित है। दूसरे शब्दों में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन नियमों/स्थायी आदेशों के अधीन प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में तैयार प्रस्तुत जब्त प्रस्तुत पदार्थ की कोई भी सूची, तस्वीरें या नमूने को अनिवार्य प्रारूप से प्राथमिक साक्ष्य के प्रारूप में माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि थोक मात्रा का उत्पादन नहीं किया गया है और बिना किसी वैध आदेश के कथित प्रारूप से नष्ट कर दिया गया है।

37. धारा 52-क उप-धारा (4) को पारंपरिक अर्थों में साक्ष्य के नियम के रूप में संयोजित नहीं किया जाना चाहिए, यानी, यह निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि

केवल प्रमाणित सूची, फोटो और जब्त किए गए पदार्थ के नमूने प्राथमिक साक्ष्य होंगे और कुछ और नहीं। 'प्राथमिक साक्ष्य' या 'सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य' का नियम अब अच्छी तरह से तय हो गया है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए, इस तरह के तथ्य को स्थापित करने के लिए केवल सर्वोत्तम साक्ष्य का नेतृत्व और प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अक्सर मूल साक्ष्य ही होता है। कब्जा साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य सदैव जब्त किया गया पदार्थ ही होगा। हालांकि, चोरी, चोरी, अपघटन या किसी अन्य संबंधित परिस्थितियों के कारण विचारण की अवधि तक ऐसे पदार्थ के संरक्षण में चुनौतियों को कम करने के लिए, विधायिका ने जानबूझकर धारा 52-क में उप-धारा (4) को सम्मिलित किया ताकि ऐसे जब्त किए गए पदार्थ की सूची, तस्वीरें या नमूने भी मूल पदार्थ के समान आधार पर लाए जा सकें, और एक काल्पनिक कल्पना द्वारा परन्तु जंहा गया है कि उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाए, बशर्ते कि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जहाँ धारा 52-क का पालन नहीं किया गया है, वहाँ अभियोजन पक्ष असहाय होगा, और इस संबंध में अन्य प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने कब्जे के तथ्य को साबित नहीं कर सकता है जैसे कि या तो बड़ी मात्रा में स्वयं पेश करना, या गवाहों से पूछताछ करना वसूली आदि के लिए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क उप-धारा (4) जो करती है वह यह है कि यह एक काल्पनिक साक्ष्य के प्रारूप में प्राथमिक साक्ष्य का एक नया प्रारूप बनाता है जो मूल जब्त किए गए पदार्थ के बराबर होगा जब तक कि वह उसके अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में किया गया था, हालांकि, उक्त प्रावधान किसी भी तरह से मूल में अन्य साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के प्रारूप में बाहर नहीं करता है, यह न तो केवल एक ही तरीके से कब्जा साबित करने के तरीके को सीमित करता है और न ही प्रतिबंधित करता है, यानी ऐसी प्रमाणित सूची, तस्वीरों या नमूनों के माध्यम से कि अन्य सभी सामग्री को 'के दायरे से बाहर' कहा जाता है। 'साक्ष्य', बल्कि यह कहा जा

सकता है कि इसके बजाय प्रावधान इस तरह के कब्जे को साबित करने में साक्ष्य नियम का एक अतिरिक्त अंग प्रदान करता है। इस प्रकार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अनुपालन के अभाव में भी, अदालतें जब्त किए गए पदार्थ या जांचे गए गवाहों की गवाही के प्रारूप में अन्य ठोस साक्ष्य की अनदेखी नहीं कर सकती हैं, इस तरह के किसी भी अनुपालन के अभाव में न्यायालयों को साक्ष्य की सराहना करते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।

38. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी द्वारा यहां केवल एक ही आधार का प्रचार किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और एन. डी. पी. एस. नियम, 2022 के नियम 10 का उल्लंघन किया गया था क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के सभी 73 पैकेटों को एक साथ मिलाया था और उसके बाद मिश्रण से 100-100 ग्राम के दो नमूने लेने के लिए आगे बढ़े।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 56

अपीलार्थी के अनुसार यह नमूनों की सटीकता और विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। उक्त जमीन को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“ 5.4 क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने जब्त किए गए प्रतिबंधित (गांजा) के सभी 73 पैकेटों को मिलाया और मिश्रण से 100-100 ग्राम के दो नमूने लिए जो अधिनियम, 1985 की धारा 52-क और एनडीपीएस नियम 2022 के नियम 10 के अधीन वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें उचित नमूने लेने और साक्ष्य ों को इस तरह से संरक्षित करने की आवश्यकता है जो जब्त की गई सामग्री की अखंडता और मौलिकता को सुनिश्चित करता है। क्योंकि अधिनियम, 1985 की धारा 52-क और एन. डी. पी. एस. नियम, 2022 के नियम 10 का यह गैर-अनुपालन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है, इस प्रकार विचारण को दूषित करता है।

क्योंकि प्रभारी अधिकारी ने प्रत्येक पैकेट से नमूने लेने से पहले जब्त किए गए गांजे के सभी 73 पैकेटों को मिलाया, उक्त अनियमितता जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की अखंडता से समझौता करती है और अधिनियम, 1985 की धारा 52-क के अधीन अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन करती है।"

39. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश में उक्त तर्क को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया कि यह एक गंजे आरोप के अलावा और कुछ नहीं था, और इस तरह के उल्लंघन को साबित करने के लिए कुछ परन्तु नहीं था।

40. अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हम उच्च न्यायालय के तर्क से पूरी तरह करार हैं। हालांकि, पीडब्लू-15 की गवाही से, यानी उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से जहां जब्त किया गया पदार्थ भेजा गया था, यह प्रतीत हो सकता है कि जब्त किए गए पदार्थों को एक ही गुणवत्ता और प्रकृति के समान पैकेटों को अलग करने और उसके बाद उनसे प्रतिनिधि नमूने लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना एक साथ मिलाया गया था, फिर भी विचारण कोर्ट के निर्णय को करीब से वाचन से पता चलेगा कि पुलिस अधिकारियों ने पत्र और आत्मा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया था।

41. 89 के स्थायी आदेश संख्या 1 के खंड 2.5 के अनुसार, जब्त के समय लागू सुसंगत स्थायी आदेश, जहां कई पैकेट या पैकेट जब्त किए जाते हैं, उन्हें पहले रंग परीक्षण के माध्यम से एक पहचान परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से पैकेट एक ही आकार, वजन और सामग्री के हैं। इसके बाद, सभी पैकेट जो सभी मामलों में एक-दूसरे के समान हैं, उन्हें ढेरों में बांधा जाएगा, गांजे के प्रकरण में, उन्हें 40 पैकेटों में बांधा जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक लॉट से एक नमूना और एक डुप्लिकेट लेना पड़ता है। सुसंगत खंड निम्नानुसार है:-

“ 2.5 हालांकि, जब एक साथ जब्त किए गए पैकेज/कंटेनर समान आकार और वजन के होते हैं, जिनमें समान निशान होते हैं, और प्रत्येक पैकेज की सामग्री को दवा पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दिया जाता है, जो निर्णायक रूप से इंगित करता है कि पैकेज सभी मामलों में समान हैं, तो पैकेज/कंटेनरों को गांजा और हशीश (चरस) के प्रकरण को छोड़कर दस पैकेजों/कंटेनरों में सावधानीपूर्वक रखा जा सकता है, जहां इसे ऐसे 40 पैकेजों/कंटेनरों में रखा जा सकता है। ऐसे पैकेजों/पात्रों के प्रत्येक समूह के लिए, एक नमूना (डुप्लिकेट में) खींचा जा सकता है।”

42. 89 के स्थायी आदेश संख्या 1 के खंड 2.8 के अनुसार, एक विशेष लॉट से नमूना लेते समय, प्रतिनिधि नमूने लिए जाने चाहिए, दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पैकेट से एक विशेष लॉट में समान मात्रा में लिए जाने चाहिए, जिसे फिर एक समग्र नमूना बनाने के लिए मिलाया जाना चाहिए। सुसंगत खंड निम्नानुसार है:-

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 58

“ 2.8 किसी विशेष लॉट से एक नमूना (डुप्लिकेट में) लेते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस लॉट के प्रत्येक पैकेज/कंटेनर से समान मात्रा में प्रतिनिधि नमूने लिए जाएं और एक समग्र संपूर्ण बनाने के लिए एक साथ मिलाया जाए जिससे उस लॉट के लिए नमूने लिए जाएं।”

43. जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है, उपरोक्त स्थायी आदेश को 2022 में एनडीपीएस नियमों के अधिनियमन द्वारा निरस्त कर दिया गया। हालांकि, उपरोक्त एन. डी. पी. एस. नियमों के नियम 29 के अनुसार, पूर्ववर्ती स्थायी आदेशों के इस तरह के निरसन के बावजूद, ऐसे आदेश या दिशानिर्देशों के आधार पर की गई सभी कार्रवाइयों को इन नियमों के संबंधित प्रावधानों के अधीन किया गया माना जाएगा। इसके अलावा, उक्त स्थायी आदेश के खंड 2.5 और 2.8 में वर्णित प्रक्रिया को बिना किसी महत्वपूर्ण

परिवर्तन के एन. डी. पी. एस. नियमों में नियम 10 और 11 के रूप में फिर से सम्मिलित किया गया है।

44. विचारण न्यायालय ने पैरा 34 में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब्त किए गए सभी 73 पैकेट खोले गए थे और प्रत्येक पैकेट के अंदर की सामग्री कंडिका मिलान किया गया था और उस संबंध में एक पहचान ज्ञापन तैयार किया गया था। इसके बाद, 100 ग्राम के दो नमूने प्रतिनिधि नमूने/मिश्रित नमूने लेकर तैयार किए गए और उसके बाद शेष पैकेटों को सील कर दिया गया। सुसंगत टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

“सभी 73 पैकेट खोले गए और उनके अंदर की सामग्री का मिलान किया गया और एक पहचान पंचनामा भी तैयार किया गया। मिश्रित गांजे से 100 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए, जिसके बाद 100 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए और शेष गांजे को 6 प्लास्टिक थैलों में भरा गया और सील कर दिया गया और जब्ती की कार्यवाही की गई।”

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 59

45. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि रंग द्वारा पहचान परीक्षण किया गया था, इसके बाद 73 पैकेटों को अधिकतम 40 पैकेटों के दो लॉट में बांटा गया था, और प्रतिनिधि नमूने तैयार किए गए थे जिन्हें फिर दो नमूना पैकेट तैयार करने के लिए एक साथ मिलाया गया था। इस प्रकार, यह शायद ही कहा जा सकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने उसके अधीन निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया है जो जब्ती और नमूने लेने के समय लागू थी।

46. अन्यथा भी, यदि अपीलकर्ताओं के तर्क को इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक के लिए स्वीकार किया जाना था, तो अभियोजन पक्ष के समग्र प्रकरण पर और विस्तार से अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि अभिलेख पर

पूरी सामग्री स्पष्ट रूप से अभियुक्त के कहने पर गांजे की बरामदगी और जब्ती को स्थापित करती है।

47. इस निर्णय को समाप्त करने से पहले, हम एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संबंध में एक व एक अन्य पहलू को संबोधित कर सकते हैं। जहां कहीं भी प्रावधान या नियमों/स्थायी आदेशों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, वह कुछ ठोस होना चाहिए और केवल एक गंजा दावा या सतही दावा नहीं होना चाहिए। अभियुक्त को अपने प्रकरण को ठीक करने के लिए कुछ स्पष्ट आरोप लगाना चाहिए कि उक्त प्रावधान के जनादेश का पालन नहीं किया गया है।

“8. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के किसी भी प्रस्तावित व्ययन/विनाश आदेश से पहले उस प्रभाव के लिए एक आवेदन के साथ विधिवत अनुपालन की आवश्यकता होती है। एक न्यायालय को प्रकरण का निर्णय लेते समय इस तरह के अनुपालन से संतुष्ट होना चाहिए। किसी प्रकरण में जब ऐसा कोई मुद्दा प्रतिफल के लिए आता है तो न्यायालय को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होती है। जब्त सामग्री का उत्पादन बरामदगी के बाद बरामदगी स्थापित करने का एक कारक है। यह याद रखना होगा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान कठोर और कठोर दोनों हैं और अंतः अभियोजन पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है।[.....]”

(जोर दिया गया)

49. हालांकि, उपरोक्त निर्णय को बारीकी से वाचन से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी केवल तभी आएगी जब गैर-अनुपालन का ऐसा मुद्दा प्रतिफल के लिए उत्पन्न होगा। हालांकि, हम उपरोक्त टिप्पणियों से पूरी तरह करार हैं क्योंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अनुपालन को स्थापित करना और साबित करना अभियोजन पक्ष का काम होगा, फिर भी साथ ही, हमारी यह सुविचारित

मत है कि अभियुक्त द्वारा केवल यह दावा करना कि उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह स्थापित करने के लिए कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क का गैर-अनुपालन किया गया है, या तो अपने स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करके या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करके, जैसे कि पुलिस अधिकारियों और प्रमुख गवाहों से सीधे और विशिष्ट प्रश्न करके, प्रारंभिक बोझ सदैव अभियुक्त पर होगा।

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2024 का सं. 14420 65 का पृष्ठ 61

50. हम अपने अंतिम निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:-

- (I) यद्यपि धारा 52-क मुख्य रूप से जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों के सुरक्षित तरीके से व्ययन और विनाश के लिए है, फिर भी यह नशीली औषधियों के व्ययन के तत्काल संदर्भ से परे है, क्योंकि यह जब्ती के बाद मादक पदार्थों के उपचार में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शुरू करने का एक व्यापक उद्देश्य भी पूरा करता है क्योंकि यह इन्वेंट्री तैयार करने, जब्त किए गए पदार्थों की तस्वीरें लेने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और प्रमाणन के साथ उनसे नमूने लेने का प्रावधान करता है। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में केवल नमूने लेना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क उप-धारा (2) के अधीन जनादेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।
- (II) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में स्थायी आदेश (ओं)/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस तरह जो आवश्यक है वह उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है।

- (III) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क और उसके अधीन नियमों/स्थायी आदेशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में तैयार की गई जल्द प्रस्तुत पदार्थ की कोई भी सूची, तस्वीरें या नमूने को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क उप-धारा (4) के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही मूल रूप से पदार्थ वास्तव में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हो या नहीं।
- (IV) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में स्थायी आदेश (ओं)/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि अन्वेषण के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस तरह जो आवश्यक है वह उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन है।
- (V) धारा 52-क या उसके अधीन स्थायी आदेश (ओं)/नियमों के अधीन प्रक्रिया का केवल गैर-अनुपालन विचारण के लिए घातक नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष के प्रकरण को संदिग्ध बनाने वाले भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों, जो कि ऐसा अनुपालन नहीं किया गया होता। न्यायालयों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों के बारे में समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रक्रियात्मक खामियों को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिक सावधानी से सराहना करनी चाहिए।
- (VI) यदि अभियोजन पक्ष, मौखिक या दस्तावेजी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अन्य सामग्री विश्वास को प्रेरित करती है और अभियुक्त व्यक्तियों से मादक पदार्थ की वसूली के साथ-साथ सचेत कब्जे के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, अदालतें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-क के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद अभियुक्त को दोषी ठहराने

के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकती हैं।

- (VII) उक्त प्रावधान या उसके अधीन नियमों का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है, हालांकि इस बारे में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसा निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, और यह सब प्रत्येक प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
- (VIII) जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में या इसे साबित करने में अभियोजन पक्ष की भाग पुलिस की भाग चूक हुई है, वहां न्यायालय के अभिलेख एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के अधीन अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध करने के वैधानिक अनुमान का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय को अन्य सामग्री से अभियुक्त व्यक्तियों से ऐसी सामग्री की जब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्टि न हो।
- (IX) प्रारंभिक भार अभियुक्त पर होगा कि वह पहले यह दिखाने के लिए मूलभूत तथ्यों को रखे कि धारा 52-क का गैर-अनुपालन था, या तो अपने स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करके या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करके, और आवश्यक मानक केवल संभावनाओं की प्रधानता होगी।
- (X) एक बार जब दिए गए मूलभूत तथ्य एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के गैर-अनुपालन का संकेत देते हैं, तो उसके बाद अभियोजन पक्ष पर ठोस साक्ष्य द्वारा यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि (i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52-क के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन किया गया था या (ii) न्यायालय को संतुष्ट करता है कि इस तरह का गैर-अनुपालन

अभियुक्त के विरुद्ध उसके प्रकरण को प्रभावित नहीं करता है, और आवश्यक सबूत का मानक एक उचित संदेह से परे होगा।

51. अतः अपील विफल हो जाती है और एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है।

52. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत होती है।

..... न्यायाधीश

(जे. बी. पर्दीवाला)

..... न्यायाधीश

(आर. महादेवन)

नई दिल्ली,

06 जनवरी, 2025

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।